शनिवार,
२७ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शनिवार, २७ फरवरी, १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमा सम्बन्धी झगड़े

*४५९. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमा सम्बन्धी झगड़ों के बारे में दोनों पंजाबों के वित्तीय आयुक्तों की अक्टूबर, १९५३ में शिमला में बैठक हुई ; तथा

(ख) क्या वह झगड़ा तय हो गया है या और बैठकें करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सीमा सम्बन्धी कुछ झगड़ों के बारे में एकमत निश्चय करने के सम्बन्ध में दोनों वित्तीय आयुक्तों ने कुछ प्रगति की है। शेष झगड़ों तथा पंजाब (भारत) तथा पंजाब (पाकिस्तान) के बीच अन्तिम सीमाकन के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। २९ तथा ३० जनवरी १९५४ को

उनकी एक और बैठक हुई और ऐसा विचार है कि इन बातचीतों को जारी रखने के लिये और बैठकें की जायें।

श्री बहादुर सिंह : किन मामलों के सम्बन्ध में झगड़ा था और क्या झगड़े की कोई बात तय हो गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : उनकी एक बहुत बड़ी कार्य सूची थी और उन्होंने बहुत सी बातों पर विचार विमर्श किया था।

अध्यक्ष महोदय : जिन बातों पर विचार विमर्श हुआ था उन्हें सदन पटल पर रखा जा सकता है।

श्री बहादुर सिंह : क्या पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पंजाब के किन्हीं भूमि खण्डों के बारे में दावा किया है, और यदि ऐसा है, तो क्या किसी और क्षेत्र के बारे में इस प्रकार का दावा किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसे बहुत सी भूमि के खण्ड हैं जिन के बारे में पाकिस्तान ने दावा किया है और कुछ के बारे में हमने दावा किया है। कुछ मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर गत बैठक में विचार विमर्ष किया गया था, संतोषजनक निर्णय किये गये हैं। किन्तु ये दोनों वित्त आयुक्त मिलकर केवल अपनी सम्बद्ध सरकारों को सिफारिश कर सकते हैं और इन पर अन्तिम निर्णय करना दोनों सरकारों का काम है। ये बैठकें

अभी समाप्त नहीं हुई हैं इसलिये मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता ।

श्री बहादुर सिंह : क्या दंगों में जिन व्यक्तियों को चोटें आई थीं या जिनके सम्बन्धी मारे गये थे, उन्हें भविष्य निधि या पेंशन देने के प्रश्न पर भी विचार हुआ था ; और यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध सीमा सम्बन्धी झगड़ों से है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका कार्य यह देखना हो कि इस मामले में जो निर्णय किये जायें उनको कार्यान्वित किया जाय ? हो सकता है कि कुछ स्थानों पर इस समय कोई सीमा न हो और सीमा निर्धारित करने के लिये कोई निर्णय किया जाय । क्या उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कर्मचारी हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसे ही सम्बद्ध सरकारें उन निर्णयों को स्वीकार कर लेती हैं, तब यह देखना सरकारों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि इन निर्णयों को कार्यान्वित किया जाय । इसके लिये किसी विशेष कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सीमा निर्धारित किये जाने के विषय में मालूम देता है ।

श्री अनिल के० चन्दा : यह अभी नहीं किया गया है । सीमांकन का प्रश्न अभी नहीं लिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसा हो सकता है कि पूरा सीमांकन न किया गया हो, किन्तु कुछ ऐसे झगड़े तय हो गये हैं जिनमें एक देश ने दूसरे देश से भूमि के कुछ छोटे खण्डों के बारे में दावा किया था । ऐसे मामलों में कोई निशान लगाये गये हैं या सीमांकन सम्बन्धी कोई नाप जोक की गई है जिससे कि उन्हीं मामलों के बारे में फिर झगड़ा पैदा न हो सके ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि यदि विवाद ग्रस्त भूमि के किसी विशेष खण्ड के बारे में यह अन्तिम निर्णय कर लिया गया हो कि वह उन दोनों में से किसी एक सरकार को दिया जायगा तो उस निर्णय को उचित प्रकार से कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

निर्यात आय

*४६१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि हमें १९५२ में होने वाली निर्यात आय की तुलना में १९५३ में बहुत कम निर्यात आय हुई ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या एक विशेष "निर्यात साख प्रत्याभूति योजना" की वांछनीयता पर कभी विचार किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) १९५१ और १९५२ सामान्य वर्ष नहीं थे और उन वर्षों के साथ तुलना करना भ्रामक होगा । कोरिया युद्ध से उस दशाओं के कारण इन वर्षों में निर्यात आय असाधारण रूप से अधिक हुई । व्यापार में प्रतियोगिता आरम्भ हो जाने से व्यापार अपने सामान्य स्तर पर आ गया है ।

(ग) जी हां । १९४९ में सरकार द्वारा स्थापित निर्यात प्रोत्साहन समिति ने निर्यात साख प्रत्याभूति योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया, किन्तु इसने इसे भारत में अपनाये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझा । इस प्रश्न को

विचारार्थ फिर ले लिया गया है, और विभिन्न देशों में चलने वाली योजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थीं जिनके दाम गिर गये थे और इस प्रकार जिनके कारण हमारी निर्यात आय में कमी हो गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक बहुत बड़ी सूची है । उन बड़ी चीज़ों में पटसन है जिसके दाम बढ़ गये थे और उस पर हम प्रति टन १,५०० रुपये निर्यात शुल्क लगा सके थे । मुझे खेद है कि मैं उन चीज़ों की सूची नहीं दे सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई ऐसी चीज़ें थीं जिनके निर्यात में इस वर्ष वृद्धि हुई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तविक बात यह है कि पटसन के माल जैसी कुछ चीज़ों के निर्यात में कुछ कमी हो गई है । मैं समझता हूं कि १९५२-५३ में निर्यात में ८२,००० या ८३,००० टन कमी हुई थी किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से मूल्य में अधिक वृद्धि हुई थी ।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय मंत्री ने कपड़ा उद्योग तथा निर्यातक निकायों से स्थायी निर्यात वृद्धि संगठन स्थापित करने की अपील की थी, क्या उसका कोई परिणाम निकला ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा मुझे पूर्ण आशा है कि एक निर्यात वृद्धि निकाय शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा ।

राज्य व्यापार

*४६२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, राज्य व्यापार के सम्बन्ध में २ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० की राज्य व्यापार समिति की सिफारिशों का पुनर्विलोकन करने के लिये जुलाई, १९५३ में नियुक्त की गई समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : राज्य व्यापार समिति (१९५२-५३) ने इस बात के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है कि राज्य व्यापार निगम खाद्यान्नों, उर्वरकों, इस्पात तथा पूर्वी अफ़्रीका की रुई का आयात तथा कोयला, छोटे रेशे वाली रुई तथा सूत को निर्यात कार्य करे । फिर भी, इस समिति का यह विचार है कि हथकरघे के कपड़े तथा कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित कुछ चुनी हुई तथा छोटी वस्तुओं का निर्यात कार्य करने के लिये एक राज्य व्यापार निगम स्थापित किया जाना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निश्चय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले की अभी जांच की जा रही है ।

श्री मुनिस्वामी : सरकार किन दशाओं तथा परिस्थितियों में किसी चीज़ पर राज्य द्वारा व्यापार किये जाने की बात लागू करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता । यह प्रश्न किसी अर्थशास्त्री से किया जाना चाहिये ।

नेपा मिल्स

*४६३. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५३ तक नेपा पेपर मिल्स के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

(ख) इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

(ग) प्रति टन उत्पादन व्यय कितना होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ९७,३३ लाख रुपये ।

(ख) जब पूर्ण उत्पादन होगा तब ३०,००० टन ।

(ग) ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उत्पादन की लागत आयात किये गये अखबारी कागज की लागत से, जो कि ५ आना ९ पाई प्रति पौण्ड है, अधिक नहीं होगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपये का ऋण, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने मांगा था, देने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय: यदि मुझे ठीक याद है, तो यह प्रश्न पहिले कई बार पूछा जा चुका है ।

सरदार ए० एस० सहगल : जी हां, यह पूछा जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न फिर क्यों पूछा जाय ?

सरदार ए० एस० सहगल : उस समय इसका उचित उत्तर नहीं दिया गया था ।

सेठ गोबिन्द दास: मैं समझता हूं कि इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था और इसी लिये इसे बार बार पूछा जा रहा है :

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि इस पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उस समय जो हालत बताई गई थी वही अब भी है । वास्तविक बात यह है कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और हमने उस पर मध्य प्रदेश सरकार के विचार मांगे हैं । उसने हमारे साथ इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिये किसी को नहीं भेजा है ।

सेठ गोबिन्द दास: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उत्पादन के बाद क्या स्थिति होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह बताना इस समय एक कल्पनात्मक बात होगी ।

खाने के तेलों का आयात

*४६४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में खाने के तेलों का आयात खाने के लिये या वनस्पति के बनाने के लिये किया जाता है; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के आयात के लिये कोई सुविधा दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, खाने के लिये तथा वनस्पति बनाने, दोनों के ही लिये ।

(ख) जी हां ।

श्री झूलन सिन्हा : ऐसे प्रयोजन के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामान्य तथा आयात लाइसेंस की सुविधा दी जाती है । बिनोलों के तेल और ताड़ के तेल के मामले में भी जिन्हें हम खाने के तेल की स्थिति सुधारने के लिए आयात करना चाहते थे, हम ने शुल्क हटा दिया है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार ने यह बात देखी है कि वनस्पति अखाद्य तेलों से बनाया जाने लगा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी ले सकता हूं ।

श्री वैलायुधन : क्या सीलोन से भारत में नारियल का तेल आयात करने के सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन की जनता या सरकार ने कोई अभ्यावेदन किया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहले अभ्यावेदन किये गये थे, किन्तु इस समय मुझे किसी ऐसे अभ्यावेदन का ज्ञान नहीं, जो कि विचाराधीन हों ।

श्री दाभी : प्रति वर्ष कितनी मात्रा आयात की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किस तेल की, श्रीमान् ?

श्री दाभी : खाने के तेलों की ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

भारत और जापान के बीच सम्पत्ति का प्रत्यर्पण

*४६५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) जैसा कि भारत-जापानी शान्ति सन्धि में निर्धारित किया गया है, क्या जापान और उसके नागरिकों की सब सम्पत्ति, अधिकारों और हितों की, जो कि युद्ध शुरू होने के समय भारत में थे, वापस कर दिया गया है,

(ख) क्या जापान में भारतीय सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में जापान ने इसी प्रकार की कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अभी क्या करना बाकी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). न भारत और न जापान दूसरे देश की या उसके नागरिकों की सम्पत्ति वापस कर सका है ।

(ग) यह मामला भारत और जापान की सरकारों के विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इस कार्य में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री करमरकर : इस समय मैं माननीय सदस्य को संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की वहां जो अस्तियां थीं, क्या उन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई जांच की थी ?

श्री करमरकर : मेरे पास नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अस्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

मंत्रालय ओर वाणिज्य दौत्यों में सम्पर्क

*४६६. **श्री बंसल** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यहां के वाणिज्य तथ उद्योग मंत्रालय और विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय वाणिज्य दौत्यों में क्या सम्पर्क है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय विदेशों में स्थित सब कार्यालयों के साथ, चाहे वे राजदूतावास हों, या उच्चायोग, वाणिज्य दौत्य आदि हों, प्रत्यक्ष सम्पर्क रखता है । मंत्रालय को समय समय पर इन कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त होती हैं । जब आवश्यकता हो, तो विशेष रिपोर्ट भी मांगी जाती है ।

श्री बंसल : ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं ? क्या वे प्रत्यक्षत:

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन या वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं ?

श्री करमरकर : वाणिज्य दौत्य वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और अन्य वाणिज्यक कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

भारी रसायन और उर्वरक

*४६७. **श्री नानादास** : **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी रसायनों और उर्वरक आयोग के सम्बन्ध में विकास परिषद् ने कोई सिफारिशें की हैं, और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं, और सरकार का उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण जिस में मुख्य सिफारिशें और उन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही बतलाई गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८**]।

श्री नानादास : विवरण से ज्ञात होता है कि भारी रसायनों के आयात और उन के मूल्य विकास परिषद् को बतलाये गये हैं। मैं जान सकता हूं कि रसायन कितनी मात्रा में आयात किये गये हैं और उन का मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो जानकारी मांगी गई थी, वह हम ने दे दी है। यदि माननीय सदस्य एक प्रश्न प्रस्तुत करें, तो मैं यह जानकारी भी उन्हें दे सकूंगा।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि विकास परिषद् को क्या अधिकार मिले हुए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विकास परिषदें एक संविधि के फलस्वरूप जिसे सदन ने अनुमोदित किया है, बनाई जाती हैं। उद्योग (नियन्त्रण तथा नियमन) अधिनियम में विकास परिषद् के अधिकारों की व्याख्या दी हुई है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इस समय उस उपसमिति का जिसे गन्धक उद्योग की जांच के लिए नियुक्त किया गया है कार्य किस अवस्था पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस उपसमिति ने अभी रिपोर्ट नहीं की।

प्रलेखीय फिल्म

*४६९. **श्री दाभी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत के पशुधन के बारे में फिल्म्ज़ डिवीज़न द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह फिल्म कब तक तैयार हो जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अगले अप्रैल या मई तक।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामों में इस फिल्म को दिखाने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं और यदि हां, तो ये प्रबन्ध किस प्रकार के हैं ?

डा० केसकर : हम अपनी फिल्मों को बड़े से बड़े पैमाने पर दिखाने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि ग्रामों में यह फिल्म दिखाने के लिए क्या प्रबन्ध किये जायेंगे। तथापि मैं अपने माननीय मित्र को बतलाना चाहूंगा कि हम अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए जो प्रबन्ध

कर रहे हैं, वे इस फिल्म के लिए भी प्रयोग किये जायेंगे ।

श्री दाभी : इस फिल्म के विशेष पहलू क्या होंगे और इसे बनाने में क्या खर्च आयगा ?

डा० केसकर : यह एक बड़ी फ़ीचर (कहानी) फिल्म नहीं है, बल्कि प्रलेखीय फिल्म है जो कि लगभग १० या १२ मिनट की होगी । मेरे लिए यह कहना बहुत कठिन है कि क्या क्या चित्र फिलमाए जायेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : इस फिल्म में जो बनेाया जा रहा है, केवल यह एक फिल्म ही बनेगा या उसके भिन्न २ अवस्थाओं के टुकड़े बनेंगे और यह काम एक ही फिल्म तक सीमित रहेगा या और भी आगे बढ़ाया जाने वाला है ?

डा० केसकर : अभी तो यह एक ही फिल्म बनाने का इरादा है लेकिन इसके यह मान नहीं हैं कि और फिल्म नहीं बनेंगे, लेकिन फिलहाल एक ही बनाने का इरादा है ।

श्री सी० आर० नरसिंहा : क्या इन दृश्यों में देश के विभिन्न पशुशाला सम्मिलित हैं, जिन के साथ मुर्गीखाने भी संलग्न हैं और क्या मुर्गीखाने का भाग उन में से काट देना आवश्यक समझा गया है ?

डा० केसकर : मैं विस्तार सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकूंगा, क्योंकि फिल्म बनाने का उत्तरदायित्व फिल्म्ज़ के मुख्य निर्माता पर है, जो कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं । यदि मेरे माननीय मित्र एक प्रश्न प्रस्तुत करें और मुझे बतलायें कि वे किन बातों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

फिल्म जांच समिति

*४७२. **श्री ए० एम० टामस** : **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फिल्म जांच समिति की वे सिफारिशें कौन सी हैं, जो कि अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) उस का निर्णय कब तक घोषित किये जाने की आशा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस समय समिति की सिफारिशें सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) एक या दो मास के अन्दर ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ?

डा० केसकर : रिपोर्ट १९५१ में प्रस्तुत की गई थी ।

श्री ए० एम० टामस : सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ? अब लगभग तीन साल हो चुके हैं ।

डा० केसकर : सरकार को विदित है कि तीन साल बीत चुके हैं । विलम्ब के कारण दो या तीन प्रश्नों के उत्तर में विस्तारपूर्वक बतलाये गये थे । वास्तव में, इसी फिल्म जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में गत वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था ।

मैं संक्षिप्त रूप से फिर बताना चाहूंगा कि जांच समिति की रिपोर्ट में ऐसे प्रश्नों का भी उल्लेख था जिन का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और हमें राज्य सरकारों से बहुत लम्बा चौड़ा पत्रव्यवहार करना पड़ा था । इसके अतिरिक्त मनोरंजन कर आदि जैसे वित्तीय प्रश्नों के सम्बन्ध में भी विभिन्न प्राधिकारियों के साथ चर्चा करनी

पड़ी थी। इस में बहुत समय लगा। भारत फिल्म संघ और अन्य फ़िल्म संस्थाओं के साथ भी परामर्श करना पड़ा था। और सरकार को यह भी देखना था कि कौन कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की जा सकती हैं। इस विलम्ब का यही कारण है।

किन्तु मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि वे सिफारिशें जिन्हें हम क्रियान्वित करना चाहते हैं बहुत शीघ्र एक विधेयक के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगी।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मित्र को याद है कि गत वर्ष भी जब यह प्रश्न पूछा गया था तब उन्होंने यह कहा था कि एक या दो महीने के अन्दर इस मामले का फैसला हो जायेगा और क्या मैं अब यह समझूं कि यह जो आश्वासन इस वक्त दिया जा रहा है कि एक दो महीने के अन्दर निर्णय हो जायेगा, यह कायम रहेगा या इसके और भी बढ़ने की संभावना है ?

डा० केसकर : जहा तक मुझे याद है, एक या दो महीने यह उत्तर नहीं था। उत्तर यह था कि शीघ्र से शीघ्र और इस समय मैं उनको यह विश्वास दिला सकता हूं कि महीना दो महीना जो कहा गया है उस महीने दो महीने के अन्दर अन्दर ही यह बिल आप के सामने आ जायेगा।

'शत्रु'' दशों के साथ व्यापार

*४८३ **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ "शत्रु" देशों और "शत्रु" के अधिकार में आये हुए देशों के साथ व्यापार पुनः जारी कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब पुनः जारी किया गया था ;

(ग) इन देशों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या इन में से किन्हीं देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो वे देश कौन से हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान्।

(ख), (ग): और (ङ): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९**]

(घ) हां, श्रीमान।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से ज्ञात होता है कि चार देशों से करार समाप्त हो गया है। क्या सरकार उन देशों से इस करार को पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : जहां तक इटली तथा हंगरी का सम्बन्ध है क्या उन से वार्ता जारी हो गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या जापान से कोई वार्ता हो रही है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में, नहीं, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन देशों से आयात करने का कोई कोटा नियत कर दिया गया है ?

श्री करमरकर : हमारे व्यापारिक करार के वर्तमान नमूने के अनुसार, जैसा कि माननीय सदस्य निस्सन्देह जानते हैं, कोई कोटा नियत नहीं किया गया है। तालिका में उन देशों से आने वाली तथा हमारे देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुयें ही दी गई हैं। कोई नियत कोटा इनका नहीं है।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं "शत्रु" देशों के नाम जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : मैं समझता था कि यह सर्वविदित है ; सूचना पुस्तकालय से उपलब्ध हो जायेगी ।

श्री पी० सी० बोस : क्या किसी देश को अब शत्रु देश कहना अनुचित नहीं है ?

श्री करमरकर : वास्तव में वे शत्रु देश नहीं हैं इसीलिये इस शब्द पर उद्धरण चिन्ह लगा दिए गए हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि १९५२ में कुछ कोटा नियत किया गया था ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कुछ मात्रा नियत की गई थी किन्तु कोटे का कोई प्रश्न नहीं था ।

माऊ माऊ उपद्रव

*४७४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) माऊ माऊ के आक्रमणों के शिकार बनने वाले भारतीयों की संख्या यदि कुछ हो ;

(ख) भारतीय व्यापारिक बस्ती, किजाबे, में कितनी सम्पत्ति लूटी अथवा नष्ट की गई ; तथा

(ग) क्या केनिया में वहां के अधिकारियों द्वारा भारतीयों को यथोचित संरक्षण दिया जा रहा है ?

वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अनुमान यह लगाया जाता है कि इन उपद्रवों में लगभग १५ भारतीय मारे गए हैं।

(ख) इस बस्ती पर किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में समाचार मिला है कि लगभग ५,००० पौंड की सम्पत्ति लूटी गई थी ।

(ग) भारत सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार केनिया के अधिकारियों द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए सामान्य संरक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि भारतीयों को पुलिस संरक्षण प्राप्त न होने का कारण यह है कि केनिया बस्ती के संकट के बारे में भारतीयों की स्थितियों को गलत समझा जा रहा है ? यदि ऐसा है तो इस मिथ्या बोध को दूर करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पहले ही अपने उत्तर में कह चुका हूं कि अपने उच्चायुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी प्रकार की आशंका करने अथवा यह सोचने की गुंजाइश नहीं है कि केनिया के अन्य नागरिकों को दिये जाने वाला संरक्षण भारतीयों को नहीं दिया गया था । और हम भी यह जानते हैं कि हमारे लोगों को आत्म-रक्षा की आवश्यकता पड़ने पर वहां बिना किसी प्रकार की विशेष कठिनाई के युद्धास्त्र मिल सकते थे ।

श्री रघुरामय्या : क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है कि वह भारतीयों पर माऊ माऊ द्वारा किये गये आक्रमणों के उचित कारण दे सके ?

श्री अनिल के० चन्दा : कुछ मामलों में जहां कि भारतीयों पर आक्रमण किये गये थे हमें यह नहीं समझना चाहिये कि उन पर वे आक्रमण भारतीय होने के नाते किये गए थे। वास्तव में उनकी दुकानों पर आक्रमण किए गए थे ।

श्री एस० एन० दास : क्या वहां अधिकारियों द्वारा गोली चलाये जाने में कोई भारतीय भी उसका शिकार हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक हमें ज्ञात है ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच नहीं कि पन्द्रह भारतीयों की हत्या की गई थी

परन्तु एक के भी सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई है ?

श्री अनिल के चन्दा : हमारी सूचना अनुसार ऐसा नहीं है ।

फौन्टेनपेन की स्याही

*४८५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५३ में आयात की गई फाउन्टेनपेन की स्याही की मात्रा तथा उसका मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (**श्री करमरकर**) : भारत में १९५३ में ४,५२,००० रु० के मूल्य की फाउन्टेनपेन की स्याही आयात की गई थी । मात्रा के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या स्थानीय उद्योग काफी स्याही बना रहा है ?

श्री करमरकर: १९५३ में सितम्बर तक दो औंस वाली तैयार की गई शीशियों का अनुमान ५,००,००० दर्जन लगाया गया है और देश में प्रतिवर्ष दो औंस वाली शीशियों का उपभोग लगभग ९,००,००० दर्जन है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या भारत में विदेशी पूंजी से विदेशी व्यापार चिह्न के अन्तर्गत स्याही बनाई जा रही है और यदि ऐसा है तो देशी उद्योग को क्या संरक्षण दिया जा रहा है ?

श्री करमरकर : हाल ही में पार्कर, पाइलट तथा वाटरमैन द्वारा चलाई जाने वाली तीन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जो इन योजनाओं में सहयोग दे रही हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : फाउन्टेनपेन की जाली स्याही का बाज़ार में बिकना रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उदाहरणस्वरूप, कुछ ऐसी फाउन्टेनपेन की स्याहियां हैं जिन पर विदेशी व्यापार चिह्न हैं किन्तु वे बनाई भारत में ही जाती हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी**) : हमने हाल ही में नियमों में संशोधन किया है, पण्य-चिह्न अधिनियम के अन्तर्गत फाउन्टेनपेन की स्याही की शीशियों पर जिस देश में वह बनी हों उसका उल्लेख करने पर ज़ोर दिया गया है जिससे कि जो फाउन्टेनपेन की स्याही भारत में बनाई गई है उस पर उसका उल्लेख किया जा सके । और क्रय करने वाले को केवल इस बात से धोका नहीं हो सकेगा कि स्याही का नाम विदेशी प्रतीत होता है ।

श्री वेंकटारमन: क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि इनमें से कुछ विदेशी फर्में, जिनको इस देश में स्याही बनाने की अनुमति प्राप्त है, विदेशों से जमी हुई स्याही आयात करती हैं और उसको घोल कर बेच देती हैं ।

श्री करमरकर : यह बात अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आई है ।

दिल्ली में आवास तथा भोजन की व्यवस्था वाले सरकारी मकान

*४७६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में आवास तथा भोजन की व्यवस्था वाले सरकारी मकानों की देख-भाल करने में लाभ हुआ है अथवा हानि ;

(ख) लाभ अथवा हानि जो कुछ भी हुआ हो उसकी मात्रा ; तथा

(ग) गृह गृह किस वर्ग के लोगों के लिए हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). दिल्ली में सरकारी आवासों पर १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ की आय तथा व्यय बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ग) संसद् सदस्य, सरकारी कार्य से दिल्ली आने वाले केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारी तथा दिल्ली में नियुक्त भारत सरकार के अधिकारीगण।

पंडित डी० एन० तिवारी : कुल विनियोग क्या है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : १९५१-५२ में कम आय तथा अधिक व्यय का क्या कारण है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ये आवास वाणिज्यिक संस्था के रूप में नहीं चलाये जा रहे हैं किन्तु वे लोक कार्य अथवा सरकारी कार्य करने वाले लोगों के रहने के लिये बने हैं। कुछ हानि जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह जिस समय भीड़ नहीं थी उस समय कुछ स्थान खाली रहे जाने के कारण हुई थी।

श्री भागवत झा आज़ाद : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि ये आवास संसद् सदस्यों के लिये भी हैं। क्या सरकार ने अब तक संसद् सदस्यों के लिये समुचित मकान बनवा दिये हैं। और क्या वे अभी तक एक ही मकान में दो या तीन लोग भीड़भाड़ में वहीं रह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रत्यक्षत: इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री तिम्मय्या : क्या ये मकान सरकारी हैं या किराये के ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इनमें से कोटा हाउस तथा पाटौदी हाउस किराये के हैं जब कि वेस्टर्न कोर्ट, कान्सटीट्यूशन हाउस तथा रायसीना रोड होस्टल सरकारी हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या जो लोग संसद् सदस्य अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनके लिये इन आवासों में ठहरने की कोई समयावधि है; और यदि ऐसा है तो वह समयावधि क्या है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सामान्यत: जो लोग इन श्रेणियों के नहीं हैं उनको इनमें ठहरने की अनुमति नहीं है। यदि उनको ठहरने की अनुमति मिल जाती है तो ज्योंही सरकार को किसी कमरे की आवश्यकता पड़ती है, उनसे तत्काल ही खाली करने के लिए कहा जा सकता है।

बर्मा में भारतीय भू-स्वमियों की क्षतिपूर्ति

*४७७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बर्मा में राष्ट्रीयकृत भूमि के लिये क्षतिपूर्ति के मसले को तय करने में सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ; तथा

(ख) अन्तिम रूप से इस मसले का निर्णय होने में कितनासमय लगेगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) बर्मा की सरकार से इस मामले पर बात चीत करने के लिये दिसम्बर १९५३ में भारत सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल रंगून भेजा गया था। पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से वार्ता हो जाने के पश्चात बर्मा के प्रतिनिधियों ने भारतीय प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त किये गए विचारों पर उचित ध्यान देने का वचन दिया था। उन्होंने भी कहा था कि अपने भू-स्वामियों की भांति ही भारतीय भू-स्वामियों का भी ध्यान रखेंगे।

(ख) आशा की जाती है कि यह मामला बर्मा की संसद् द्वारा उसके उस सत्र में तय किया जायेगा जो इसी मास में आरम्भ हो रहा है । अन्तिम निर्णय में कितना समय लगेगा, यह बताना कठिन है ।

श्री डी० सी० शर्मा : जिस भूमि के विषय में यह झगड़ा चल रहा है उसका क्षेत्र कितना है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें ठीक आंकड़े तो ज्ञात नहीं हैं किन्तु इसका क्षेत्र लगभग बीस लाख एकड़ है और कुल मूल्य लगभग ७० करोड़ रुपये है ।

श्री डी० सी० शर्मा : ५७४ फर्में ऐसी हैं जिनके पास एक एक हज़ार एकड़ या इस से कम भूमि है, जिसका कुल क्षेत्रफल २,१७,१६४ एकड़ है। ४८२ फर्में ऐसी हैं जिनके पास एक एक हज़ार से अधिक भूमि है, जिसका कुल क्षेत्रफल १५,०१,४०१ एकड़ हैं ।

श्री राधा रमण : क्या यह सत्य है कि भारतीय भू-स्वामियों से अभी तक उन भूमियों के लिए लगान वसूल किए जा रहे हैं जो बर्मा सरकार द्वारा संभाल ली गई हुई हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : सीरियम बस्ती के विषय में जिस पर १९४९ का भू-अधिनियम लागू हो गया था, मैं समझता हूं कि लगान लिया गया है और लिया जा रहा है । हम ने बर्मा सरकार से अभ्यावेदन किया था । उन्होंने यह उत्तर दिया कि हम भू-राजस्व की छूट के लिए यह काफी कारण नहीं समझते कि भू-स्वामियों को काश्तकारों से लगान की प्राप्ति नहीं हो रही ।

श्री राघा रमण : इस मामले का निर्णय होने में कितना समय लग जाएगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने अपने प्रथम उत्तर में बताया है इस नए विधेयक के प्रतिकर सम्बन्धी खंड पर बर्मा संसद् के चालू सत्र में चर्चा होगी ।

श्री सारंगधर दास : क्या वह काश्तकार, भारतीय अथवा अन्य, जो बड़े भूस्वामियों से ली गई भूमियों पर खेती कर रहे थे उनके राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निष्कासित कर दिए जाएंगे या इसी प्रकार बने रहेंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मुझे कहना पड़ता है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

नमक निर्माण केन्द्र

*४७८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में नमक निर्माण केन्द्रों के लिए राजस्थान तथा फ्रेंच सरकारों को, क्रमश :, दिया गया कुल प्रतिकर ;

(ख) यह कब तक दिया जाता रहेगा ;

(ग) क्या उनके साथ कोई करार किया गया था ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो क्या उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी ?

उत्पादन मन्त्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) १९५२-५३ में राजस्थान सरकार को दिया गया कुल प्रतिकर रु० २२,१०,८०३-५-३ था ॥ फ्रेंच सरकार को १९५२-५३ में कोई प्रतिकर देय नहीं था । फ्रेंच सरकार को प्रतिकर देने सम्बन्धी सभी करार १४ अगस्त, १९५१ को समाप्त हो चुके थे, और उन से कोई नये करार नहीं किए गये हैं। किन्तु १९५२-५३ में, उन्हें ४,१६,९९९ रु० की राशि गत वर्षों की शेष राशि रूप में दी गई थी ।

(ख) राजस्थान सरकार को प्रतिकर उस समय तक दिया जाता रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार उक्त राज्य के क्षेत्र में स्थित नमक के उद्गमों में नमक का निर्माण करती रहेगी ।

(ग) हां, केवल राजस्थान सरकार के साथ ।

(घ) राजस्थान सरकार के साथ हुए करार के उस भाग को एक प्रति सदन पटल पर रखी जा रही है जिसका सम्बन्ध राजस्थान में नमक निर्माण तथा उसके लिए किए जाने वाले भुगतान से है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१**]

श्री के० सी० सोधिया: क्या इन दी जाने वाली राशियों को निर्मित नमक की लागत का एक अंश समझा जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं, श्रीमान् । उन्हें परिव्यय सम्बन्धी लागत का अंश नहीं समझा जाता । उन्हें लगान तथा स्वामित्व समझा जाता है ।

श्री नानादास: राजस्थान के लिए यह नमक निर्माण केन्द्रों पर हमारा कुल क्या खर्च आया है और उन्हें सम्भालने से लेकर अब तक उत्तरोत्तर क्या प्रतिकर दिया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे: मैं प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय: कुल व्यय तथा प्रतिकर की कुल उत्तरोत्तर राशि ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रैड्डी): कुल व्यय तथा प्रतिकर की कुल उत्तरोत्तर राशि ? मुझे खेद है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री नानादास: क्या हम इस प्रकार का प्रतिकर किसी अन्य राज्य सरकार को भी दे रहे हैं, और यदि ऐसा है तो किस राज्य सरकार को ।

श्री आर० जी० दुबे : अन्य राज्य सरकारों के बारे में जानकारी इस समय प्राप्य नहीं है ।

विकास खंडों में बुनियादी शिक्षा

***४७९. श्री बी० के० दास**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सामुदायिक विकास खंडों में बुनियादी शिक्षा जारी की गई है ;

(ख) यदि हां तो कितने विकास खंडों में अब तक ये बुनियादी स्कूल खोले गये हैं; तथा

(ग) क्या इस प्रकार के इन स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क तथा आवश्यक है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) २२ सामुदायिक परियोजना तथा २३ विकास खंडों में ६६२ नये बुनियादी स्कूल खोले गये थे ।

(ग) शिक्षा निःशुल्क है किन्तु कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शिक्षा अनिवार्य नहीं है ।

श्री बी० के० दास: प्रश्न के भाग ख के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने पुराने स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया है ?

श्री हाथी: २६३ को ।

श्री बी० के० दास: क्या कोई माध्यमिक स्कूल उच्चस्तरीय बुनियादी स्कूल में बदला गया है ?

श्री हाथी: ५२ ।

श्री बी० के० दास: क्या उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जिनकी अवस्था ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की है, की संख्या में

प्रतिशत हुई वृद्धि के बारे में कोई प्राक्कलन तैयार हुआ है, यदि हां तो वह प्रतिशत वृद्धि क्या है ?

श्री हाथी: संभवत: वह संख्या तो प्राप्य नहीं है ।

श्री एस० एन दास: विभिन्न राज्यों द्वारा सामुदायिक परियोजना वाले क्षेत्रों में खोले गये स्कूलों की संख्या सम्बंधी आंकड़े क्या हैं ?

श्री हाथी : इसकी सूची मेरे पास है किन्तु इसके पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, अत: इस सूची को सदन पटल पर रख दूंगा ।

अपहृत महिलाओं की पुन: प्राप्ति

*४८०. **श्री बाल्मीकि**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान में अपहृत महिलाओं की पुन: प्राप्ति के लिये अभी तक काम किया जा रहा है ;

(ख) अब तक कितनी महिलाएं प्राप्त की गई हैं ; और

(ग) इस काम में सहयोग देने वाली सरकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी हां ।

(ख) ३१-१२-१९५३ तक भारतवर्ष में पुन: प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या २१,१४१ तथा पाकिस्तान में ८,८३१ है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान उनके तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के भाग (ख) की ओर, जिसका उत्तर ३ अगस्त १९५३ को दिया गया था आकर्षित करता हूं । उत्तर यह था कि मानवता के नाते विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने इस कार्य में सरकार की सहायता की है ।

श्री बाल्मीकि: पिछले तीन वर्षों में इस विभाग पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री अनिल क० चन्दा: अभी दो दिन हुए तब अपहृत व्यक्तियों की पुन: प्राप्ति विधेयक के सम्बन्ध में काफी वादविवाद हुआ था और इस सम्बन्ध में हमारे पास जितनी भी जानकारी थी वह सब हमने उस दिन बता दी थी ।

श्रीमती ए० काले: इस पुन: प्राप्ति कार्य में अब तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा: सभी जानते हैं, मोटी तौर पर लगभग ९ लाख रुपये प्रति वर्ष हैं ।

धान का हाथ से कूटना

*४८२. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार को हाथ से धान कूटने के सम्बन्ध में अभी तक कुल कितना धन दिया है ;

(ख) राज्य में इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) किसी भी राज्य को अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार इस व्यवसाय को राइस मिल्स से बचाने के लिए कोई कार्यक्रम बना रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड को व्यय

करने के लिए ३ लाख रुपया दे दिया गया है; और उस रुपये का अभी तक वितरण नहीं किया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार अपने मुहकमे के खर्चे के लिए इस हाथ से कुटे हुजएज चावल को खरीदेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : उस पर विचार ज़रूर करेगी ।

श्री सिंहासन सिंह : चावल का हाथ से कूटना चालू करने के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशों के बारे में जो प्रश्न पिछले सत्र में पूछा गया था उसके उत्तर में सरकार ने कहा था कि यह प्रश्न विचाराधीन है । क्या मिल के चावल के स्थान पर चावल का हाथ से कूटना चालू करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चय कर लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय सरकार तो अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड के द्वारा कार्य करती है । और अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड को व्यय करने के लिए तीस लाख रुपया दे दिया गया है । उन्होंने अतिरिक्त धन की मांग की थी । व्यय करने के लिए १२५,००० रुपया अतिरिक्त धन भी दे दिया गया है । मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि अभी तक धन बांटा नहीं गया है ।

तम्बाकू

*४८३. **श्री राघवय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को भारत-सोवियत समझौते के अधीन तम्बाकू के अत्यधिक स्टाक को निकालने के लिए कोई अभ्यावेदन मिले हैं; तथा

(ख) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) अभी हाल ही में जो भारत-सोवियत व्यापार समझौता हुआ था उसमें तम्बाकू को भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली मदों में से एक मद मान लिया है ।

श्री राघवय्या : क्या तम्बाकू के स्टाक को निकालने के प्रश्न के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए कोई व्यापारी इस देश से रूस गया है ?

श्री करमरकर : इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

डा० राना राव : क्या एकत्रित तम्बाकू को निकालने में सहायता करने अथवा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अभी हाल में कोई विशेष कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों की जो विभागीय बैठक अभी हुई थी, उसमें गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर विचार किया गया था ।

श्री दाभी : भारतवर्ष से लगभग कितना तम्बाकू प्रतिवर्ष रूस आयात करेगा ?

श्री करमरकर : इस सम्बन्ध में कोई कुछ अनुमान नहीं लगा सकता ।

आंध्र में बुनकरों को सहायता

*४८५. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बुनकरों को सहायता देने के लिए आंध्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को यह देखने का अधिकार है कि हथकरघा उपकर निधि में से राज्यों को दिया जाने वाला

धन सहकारी संस्थाओं द्वारा, जिनको कि यह धन दिया गया है, उचित रूप से व्यय किया जाता है ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो देखभाल करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है; तथा

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर 'नहीं' में हो तो क्या कोई अन्य प्राधिकारी इसकी देखभाल करता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) आंध्र में उपकर निधि द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए स्वीकृत योजना द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]** राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार इन योजनाओं को को क्रियान्वित करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय पणन संगठन तथा इसके प्रादेशिक कार्यालय आवश्यक देख भाल करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार को प्रगति प्रतिवेदन भी देना पड़ता है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या यह तथ्य है कि माननीय मंत्री जी ने ८ फरवरी को आंध्र राज्य के येनिगरूर नगर की बुनकर संस्था का निरीक्षण किया था और संस्था को वचन दिया था कि उन मकानों के लिए जो कि काफ़ी समय हुए तब बने थे, औद्योगिक योजना के अधीन १,४४,५५० रुपये की आर्थिक सहायता के अनुदान की सिफ़ारिश करेंगे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निस्संदेह यह सत्य है कि मैं ने संस्था का निरीक्षण किया था, किन्तु माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि मंत्री, सरकार तथा अपने साथियों से बिना पूछे मंत्री अपने दौरों में आर्थिक सहायता अथवा ऋणों के वचन नहीं दे सकते । अत: इस प्रकार का कोई वचन मैं नहीं दे सकता था ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ये मकान, जिनके लिए कि यह अनुदान मांगा गया है, राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा ऋणों से बने ; और ऋण की एक किस्त भी संस्था द्वारा अभी तक नहीं दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि राज्य सरकार ने धन दिया है तो यह जानकारी प्राप्त करने का स्पष्ट साधन राज्य सरकार ही हो सकती थी न कि केन्द्रीय सरकार ।

श्री राघवय्या : क्या आंध्र राज्य में हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं के बारे में जांच करने के लिए जिस 'कपड़ा जांच समिति' की नियुक्ति अभी सरकार ने की थी, उस समिति के द्वारा की गई भूलों के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन मिला है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भूलें ?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तरार्द्ध क्या हैं, क्या फिर से पढ़ेंगे ?

श्री राघवय्या : आंध्र राज्य में हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हाल में सरकार ने जिस 'कपड़ा जांच समिति' की नियुक्ति की थी क्या उस समिति की ओर से उपकर धन को बांटने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन मिला है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का तात्पर्य मैं नहीं समझ सका । सम्भवत:

'कपड़ा जांच समिति, ने राज्य का दौरा किया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रश्न के सम्बन्ध में उसने कोई सिफारिशें की थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान् । इसने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

रेंहन्द बांध

*४८६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित रेहन्द बांध परियोजना को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई सहायता दी है ?

(ख) यह सहायता किस प्रकार की है और कब दी गई थी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). अब तक उत्तर प्रदेश सरकार को इस परियोजना के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है ।

यह परियोजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है और १९५४-५५ के लिये भारत-अमरीका टेक्निकल सहायता कार्यक्रम में सहायता के लिये भी सम्मिलित कर ली गई है ।

राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य परियोजना की वित्तीय व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस विषय में कोई सहायता मांगी थी ?

श्री हाथी : अभी तक तो नहीं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : केन्द्रीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक उत्तर प्रदेश की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये कितना धन दे चुकी है ?

श्री हाथी : इस के लिये मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस परियोजना से कुछ अन्य राज्यों को भी आंशिक रूप से लाभ पहुंचेगा ?

श्री हाथी : जी हां, इस से बिहार को भी लाभ पहुंचेगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : तिलैया डैम से सिंचाई के लिये नहर बनना आरम्भ हुआ है या नहीं ?

श्री हाथी : यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की रेहन्द परियोजना के सम्बन्ध में है ।

भारत-पाकिस्तान सीमान्त घटनायें

*४८७. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) शिलौंग-करीमगंज क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमान्त पर १९५३ में सरकारी रूप से कितनी घटनाओं की सूचना मिली थी ;

यदि कोई घटनायें हुई थीं, तो ये किस प्रकार की थीं ; और

(ग) दोनों सरकारों के बीच इस प्रकार की कितनी घटनाओं का शान्ति से निबटारा हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) संयुक्त खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियां-सिलहट सीमांत पर २८ घटनाओं की और करीमगंज-सिलहट सीमांत पर ८ घटनाओं की ।

(ख) (१) संयुक्त खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियां-सिलहट सीमांत पर जो २८ घटनायें हुई थीं उनमें से १३ पाकिस्तानी सशस्त्र सेना और आसाम सीमान्त सुरक्षा बल के बीच गोलियां चलाने

की थीं, ५ घटनायें पाकिस्तानी राष्ट्रजनों और पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के सैनिकों के भारतीय प्रदेश में अवैध प्रवेश की थीं, ६ घटनायें पाकिस्तानी राष्ट्रजनों और पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के सैनिकों द्वारा पशुओं को उठा ले जाने की थीं और एक घटना पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के सैनिकों द्वारा एक भारतीय राष्ट्रजन के अपहरण के सम्बन्ध में थी ।

(२) करीमगंज-सिलहट सीमांत पर हुई ८ घटनाओं में से ३ गोली चलाने की, ३ भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा सरमा नदी में नौकायें चलाने के सम्बन्ध में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हस्तक्षेप की और २ पशुओं को उठा ले जाने की थीं ।

(ग) दिसम्बर, १९४८ के भारत-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत आसाम-पूर्वी बंगाल सीमान्त पर होने वाली ऐसी घटनायें निबटारे के लिये सम्बद्ध सीमान्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को निर्दिष्ट कर दी जाती हैं। भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित घटनाओं में से अपहृत भारतीय राष्ट्रजन को तब से मुक्त किया जा चुका है और पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा उठाये गये कुछ पशु भी लौटा दिये गये हैं। अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में या तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोपों का खंडन कर दिया है या पशुओं को नीलाम कर दिया है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या गोली चलाने से कोई हताहत हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : कोई हताहत नहीं हुआ ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या यह सत्य है कि आसाम सीमांत के प्रश्नों को शीघ्रता से निबटाने के लिये शिलौंग में पाकिस्तान का उप-उच्चायुक्त रखा जा रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या मामलों को शीघ्रता से निबटाने के लिये शिलौंग में पाकिस्तान का उप-उच्चायुक्त रखा जा रहा है ।

श्री अनिल के० चन्दा : पाकिस्तान में बहुत से उप-उच्चायुक्त हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त से है ।

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे तो इसका पता नहीं है ।

श्री एस० सी० देव : क्या करीमगंज-सिलहट सीमांत पर गोली चलाने की कोई घटना हुई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पहिले बता चुका हूं कि करीमगंज-सिलहट सीमांत पर जो आठ घटनायें हुई थीं उनमें से तीन गोली चलाने की थीं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या अपहृत व्यक्ति अब वापिस आ गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारी ओर से एक व्यक्ति का अपहरण किया गया था और मैं समझता हूं कि वह वापस आ गया है ।

पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी से नहर

*४८८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दामोदर घाटी निगम प्राधिकारी ने बांकुड़ा जिले के सोनमुखी पुलिस थाने में नहर की सरकारी रूप से घोषित रेखा में कुछ एक परिवर्तन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) इस परिवर्तन के लिये कितने एकड़ कृषियोग्य भूमि और कितने घर तथा अन्य सम्पत्ति नये सिरे से प्राप्त की गई है ; और

(घ) क्या इन के लिये उचित प्रतिकर दे दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अधिसूचित भूमि में से ०.६५ एकड़ का एक क्षेत्र निकाल दिया गया है केवल यही एक परिवर्तन किया गया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

(ग) अधिसूचित भूमि के अतिरिक्त और कोई भूमि नये सिरे से नहीं ली गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या सरकार को सम्बद्ध ग्रामों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : नहीं, सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या पूरा प्रतिकर दे दिया गया है ?

श्री हाथी : अभी तक हारी भूमि का प्रतिकर नहीं दिया गया, लगभग ७,००० एकड़ भूमि का प्रतिकर दिया गया है ।

पटसन की वस्तुएं (निर्यात)

*४९०. **श्री मुरारका** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष पटसन की वस्तुओं का निर्यात कम होता जा रहा है ?

(ख) निर्यात के कम होने का मुख्य कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान् । चालू वित्तीय वर्ष में पटसन की वस्तुओं का निर्यात गत दो वर्षों के औसत निर्यात की अपेक्षा थोड़ा-सा अधिक हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरारका : क्या गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष पटसन के बोरों और बोरों के कपड़े का निर्यात कम हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय सन अपेक्षा बोरों से है ?

मेरे विचार में बोरों का निर्यात कम हो गया है—मैं ठीक ठीक यह नहीं बता सकता कि कितना कम हुआ है—और बोरों का निर्यात घटता ही जा रहा है ।

श्री मुरारका : मैंने पटसन की वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था, क्योंकि उद्योग-व्यापार पत्रिका में प्रकाशित वर्गीकृत मदों में बोरों और बोरों के कपड़े को पटसन की वस्तुओं के खाने में लिखा हुआ है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बोरों का कपड़ा सन कहलाता है, बोरों को बोरों का कपड़ा कहते हैं । बोरों के कपड़े का निर्यात घटता जा रहा है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि निर्यात में कमी आयात करने वाले देशों में पटसन की स्थानापन्न वस्तुओं के निकल आने से हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने पिछले एक प्रश्न के उत्तर में बताया इस वर्ष निर्यात की स्थिति सब से अधिक

निर्यात के वर्षों की अपेक्षा कुछ कठिन हो गई है। १९५२-५३ में केवल इस कारण हमारे निर्यात को बहुत धक्का पहुंचा था क्योंकि कुछ देशों में पिछले वर्षों का माल बहुत जमा हो गया था। और इनके कारणों को अलग करना भी बड़ा कठिन है। इसका कारण सम्भवतः इतना स्थानापन्न वस्तुओं का निकल आना न हो जितना कि इसके स्थान पर कागज़ के थैलों का प्रयोग किया जाना और बहुत अधिक मात्रा में माल को इकट्ठा सम्भालना हो।

श्री एन० एल० जोशी: क्या मैं इस वर्ष निर्यात का कुल मूल्य जान सकता हूं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे पास १९५३-५४ के दस मास की टन मात्रा का ब्यौरा है। इसकी मात्रा ६,५०,००० टन है। मेरे पास मूल्य के आंकड़े नहीं हैं।

गन्ने की खोई से समाचार-पत्र का कागज

*४९१. **श्री झूलन सिन्हा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की खोई से समाचारपत्र का कागज बनाने के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इस समय खोई से समाचारपत्र का कागज बनाने की कोई ठोस योजना नहीं है जिस की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ बताया जा सके। किन्तु देहरादून स्थित वन अनुसन्धान संस्था ने हाल ही में यह दिखाने के लिये कई एक परीक्षण किये हैं कि खोई के गूदे में ३० प्रतिशत बांस का गूदा मिलाने से एक सन्तोष-जनक प्रकार का छपाई का कागज बनाया जा सकता है। अब इस संस्था द्वारा इस के उत्पादन की ठीक लागत का पता लगाने के लिये कागज मिलों में परीक्षण किये जा रहे हैं। खोई से छपाई का कागज बनाने की लागत को कम करने के लिये भी परीक्षण किये गये हैं।

श्री झूलन सिन्हा: क्या सरकार गन्ने की खोई से समाचारपत्र का कागज बनाने की लागत बता सकती है और यह अन्य पदार्थों से बनाये गये कागज की लागत की तुलना में कैसा रहता है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: परीक्षण किये जा रहे हैं और इन परीक्षणों के पूरा होने के पश्चात् ही हम तुलनात्मक लागत मूल्य निकाल सकेंगे।

हाथ करघे का कपड़ा

*४९२. **श्री एस० एन० दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) हथ करघे के कपड़े की बिक्री पर क्या किसी राज्य ने छूट देने का निश्चय किया है, यदि किया है तो किस ने; तथा

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड (क) का उत्तर 'हां' में हो तो प्रत्येक राज्य में, दी जाने वाली, छूट की दरें कितनी कितनी हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें, हथकरघ के कपड़े की बिक्री पर छूट देने के लिए जिन राज्यों को अनुदान मंजूर किये गये हैं, उनके नाम दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]** ये सारे राज्य, हथ करघे के कपड़े की बिक्री पर छूट देंगे।

(ख) पांच रुपये या उस से अधिक की बिक्री पर नौ पाई से लेकर एक आना छै पाई प्रति रुपये तक छूट की दर होगी।

श्री एस० एन० दास: हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर कब से छूट दी जा रही है?

श्री टी० टी कृष्णमाचारी : छूट आरंभ होने की ठीक ठीक तारीख़ नहीं बता सकता हूं । अब यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : कुल कितनी धन राशि इस कार्य के लिय मंजूर की गई है तथा अनेक राज्यों को इस का नियतन किस आधार पर किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बिक्री पर दी जाने वाली छूट के लिये कुल ९१,७६,९५० रुपया अनुदान में दिया गया है । राज्यों द्वारा तय्यार की गई योजनाओं के आधार पर तथा राज्यों में जितने सूत कीखपत होगी उसके आधार परही इस धन राशि का नियतन किया जायेगा ।

दामोदर घाटी से कलकत्ते के लिये बिजली

*४९३ **श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई तथा** विद्यत मंत्री यह बतलाने कीा कृप करेंगे ।

(क) क्या यह सत्य है कि दामोदर घाटी में तय्यार होने वाली बिजली, कलकत्ते भेजी जायेगी ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार भेजी जाने वाली बिजली, कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत होगी तथा संस्थान की कुल क्षमता का कितना प्रतिशत होगी ;

(ग) बिजली किस एजेंसी के द्वारा भेजी जायेगी ; तथा

(घ) उपभोक्ताओं से, प्रति यूनिट बिजली का कितना मूल्य लिया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) कलकत्ते को भेजी जाने वाली बिजली, कुल उत्पादन की लगभग २४ से लेकर ३२ प्रतिशत तक, तथा संस्था की कुल क्षमता की लगभग १५ से लेकर २३ प्रतिशत तक, होगी ।

(ग) स्वयं दामोदर घाटी निगम के १३२ किलोवाट के बिजली के तारों के द्वारा, कलकत्ते को, बिजली भेजी जायेगी तथा कलकत्ता बिजली संभरण निगम द्वारा उसका वितरण किया जायेगा ।

(घ) कलकत्ता विजली संभरण निगम बिजली का थोक क्रय, दामोदर घाटी निगम से कर लेगा । उपभोक्त से बिजली के दाम उस नियमोचित दर के अनुसार लिये जायेंगे जो समय समय पर पश्चिमी बंगाल सरकार की स्वीकृति से लागू हो ।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : क्या यह तथ्य नहीं है कि यह बार बार कहा गया था कि जो बिजली तय्यार होगी उसका उपयोग इस क्षेत्र के उद्योगों के लिये किया जायेगा ? यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इसमें से कितने प्रतिशत बिजली इस क्षेत्र द्वारा वास्तव में प्रयोग में लाई जा रही है ?

श्री हाथी : २४ प्रतिशत कलकत्ता चली जायेगी तथा शेष का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों के लिये किया जायेगा ?

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : दामोदर घाटी निगम, इस बिजली को कितने मूल्य पर कलकत्ता बिजली संभरण निगम के हाथ बेचेगी । इस प्रकार दी जाने वाली बिजली की दर, कलकत्ते के उपभोक्ताओं के लिये, क्या उस दर से कम होगी, जिसके अनुसार कि, बिजली संभरण निगम, अभी दाम ले रहा है ?

श्री हाथी: दामोदर घाटी निगम, जिस दर के अनुसार, कलकत्ता बिजली संभरण निगम को बिजली देगा, उसके सम्बन्ध में अभी बात चीत चल रही है तथा कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या संविदा में कोई खंड इस आशय का है कि दामोदर घाटी निगम, उसी दर के अनुसार, कलकत्ता बिजली संभरण निगम को बिजली देगा जिसके अनुसार कि अभी कलकत्ते की जनता से बिजली के दाम लिये जा रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया जायेगा ?

श्री हाथी : यह एक सामान्य नियम है कि जब बिजली का थोक विक्रय किया जाता है तो उसकी दर निश्चित रूप से कम होती है। इस प्रकार कलकत्ता बिजली संभरण निगम अपने लिये इसका कुछ थोड़ा सा लाभ बचा सकता है। बिजली का भाव पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही होगा।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती: अपनी समझ के अनुसार क्या आप का विचार है कि इसके बाद कलकत्ते में बिजली सस्ती हो जायेगी ?

श्री हाथी : मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। यह पश्चिमीं बंगाल सरकार पर निर्भर होगा।

नमक

*४९४. **श्री राघवय्या** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य में नमक के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कौन से उपाय करने का विचार करती है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : आंध्र राज्य में, नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्पादन अभी से आधिक्य के साथ हो रहा है। फिर भी जो नमक तैयार किया जाता है, उसके गुण प्रकार सुधारने के लिये, नमक बनाने वालों का पथ प्रदर्शन करने के विचार से, शीघ्रता के साथ, नमक की जांच के साधन उपलब्ध करने के लिये, सरकार ने 'काकीनाड़ा में एक जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय कया है। कुछ और जांच प्रयोगशालायें खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रघवय्या: क्या सरकार आंध्र राज्य में गवेषणा प्रयोगशालायें, नमक साफ करने के कारखाने तथा आदर्श फ़ार्म खोलने का विचार कर रही है ?

श्री आर० जी० दूबे : हां। संसद ने नमक उपकर विधेयक पास किया था तथा उसमें नमक उद्योग के क्षेत्र में विकास कार्य करने का कुछ उपबन्ध मौजूद है। जब वह योजनायें आरम्भ की जायेंगी तो आंध्र को भी उसमें भाग दिया जायेगा।

श्री रघवय्या : आंध्र राज्य में आरम्भ किये जाने वाले नमक साफ करने के कारखानों, नमक गवेषणा की प्रयोग-शालाओं तथा आदर्श फार्मों की संख्या कितनी है ?

श्री शार० श्री० दूबे : अभी तो काकीनाडा छांटा गया है। अन्य स्थानों के सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री नानादास उठे--

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी प्रशासन

*४९५. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे। कि क्या यह तथ्य है कि सरकार उत्तरपूर्वी सीमान्त एजेंसी के लिये, शीघ्र ही सेवा की एक विशेष श्रेणीं स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के लिये उम्मेदवार छांटनें के लिये कौन से मापदंड निर्धारित किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के लिये, एक विशेष सेवा श्रेणी

बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय करने के पूर्व, कुछ संख्या में, पोलीटिकल अफसर तथा असिस्टेंट पोलीटिकल अफसर भर्ती करने का निश्चय किया गया है तथा यह तय पाया है कि एक आध साल ऐसा करके देखा जाय । प्रशासन के प्रसार से उत्पन्न होनेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भी ऐसा करना आवश्यक हो गया था ।

(ख) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के पदों पर कार्य करने वाले अफ़सरों के लिये यह आवश्यक समझा जाता है कि उनमें उपक्रमशीलता, विचार शक्ति तथा उपाय कुशलता के गुण होने चाहियें तथा आदिम जातीय लोगों तथा उनके रीति रिवाजों का उन्हें ज्ञान होना चाहिये तथा, उनके साथ उनमे सहानुभूति होनी चाहिये । अत्यन्त कठोर परिस्थितियों में कार्य करने की मानसिक तथा शारीरिक क्षमता भी ऐसे अफ़सरों में होना आवश्यक समझा जाता है ।

श्री एल० जोगश्वर सिंह : क्या यह तथ्य है कि इन स्थानों के लिये केवल सैनिक अधिकारी ही पात्र समझे जाते हैं तथा असैनिक अधिकारी पूर्ण रूप से अलग कर दिये जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं । जब हमने नये अफसरों को भरती करने का निश्चय किया था तो आसाम राज्य के उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र के अफसरों से, तथा आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० तथा रक्षा सेवाओं की जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों से, आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : इस नई सेवा से क्या मनीपुर तथा त्रिपुरा में भी काम लये जाने की कोई संभावना है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभी इनकी भरती केवल उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र के लिये ही की गई है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या रक्षा सेवाओं के लोगों को कोई अधिमान दिया जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : रक्षा सेवाओं के लोगों के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया था । हमने एक भर्ती बोर्ड बना दिया था । बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौखिक परीक्षा ली गई थी । फिर भी मैं पाता यही हूं कि चुने गये अधिकारियों की एक बहुत बड़ी संख्या सेना तथा विमान बल के लोगों की है ।

श्री रिशांग किशिंग : पी० ओ० तथा ए० पी० ओ० के पदों के लिये चुने जाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति किन जिलों म की जायेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : लगभग २४ नाम हैं । यदि आप की आज्ञा हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : उठे–

अध्यक्ष महोदय : अब केवल एक प्रश्न और है । अगला प्रश्न ।

मोती

*४९६ **श्री मोरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल १९५३ से लेकर जनवरी १९५४ तक, तथा १९५२-५३ के तत्स्थानी दस महीनों में, मध्यपूव के देशों से होने वाले मोतियों के आयात का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) उपर्युक्त दोनों कालावधियों में होने वाले मोती के पुनर्निर्यात का कुल मूल्य कितना है

(ग) मोतियों के आयात तथा पुनर्निर्यात में क्या कोई कमी हुई है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कमी का कारण क्या है ; तथा

(ड) मोतियों के आयात तथा निर्यात पर क्या कोई शुल्क लिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) तथा (ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २. अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) हां।

(घ) हो सकता है कि नकली मोती की प्रतियोगिता के अतिरिक्त, २८ फरवरी १९५३ को आरोपित २० प्रतिशत मल्य के अनुसार आयात शुल्क के कारण इस व्यापार में गिरावट आ गई है।

(ड) मोतियों पर कोई निर्यात कर नहीं है। २३ फरवरी १९५४ से कच्चे मोतियों (बिना तय्यार किये हुये) पर बीस प्रतिशत का जो आयात शुल्क वसूल किया जाता था वह भी हटा दिया गया है।

श्री मोरारका : क्या भारत सरकार को, असली तथा नकली मोतियों पर लगाये जाने वाले इस आयात शुल्क के हटाये जाने के सम्बन्ध में, 'मोती व्यापारी संघ' से कीई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ?

श्री करमरकर : एसा ही हुआ था। हमने उस पर विचार किया तथा उक्त शुल्क हटा दिया।

प्रश्णों के लिखित उत्तर

दिल्ली में रिहायशी क्वाटर

*४६०. **ठाकुर लक्षमण सिंह चरक** : क्या **निर्माण आवास तथा सम्भरण** मंत्री ९ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९५२-५३ के दौरान म दिल्ली में क्लर्कों तथा चपरासियों के क्वार्टरों के निर्माण पर कुल कितना धन खर्च किया है ?

निमांण आवास तथो सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : लगभग साठ लाख रुपयें।

औषधि निर्माण उद्योग

*४६८ **श्रीमती रेणूचक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण के परिणामस्वरूप औषधि-निर्माण उद्योग की बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृश्णमाचारी) : एसी कोई कठिनाई इस उद्योग द्वारा सरकारके ध्यान म नहीं लाई गई है।

सरकार की रिहायशी बस्ती

*४७०. **श्री गिडवानी** क्या **निर्माण आवास तथा सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि प्रधान मंत्री ने चेम्बुर (बम्बई) स्थित औद्योगिक रिहायशी बस्ती का शिलान्यास करने हुये जो यह शब्द कहे थे कि भारत में मानव आवास के लिय बनाये जाने वाले किसी भी मकान म दो से कम कमरे नहीं होने चाहियें, क्या वह सरकर की नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : हां श्रीमान् हमारा यही लक्ष्य है जिसे पूरा करन के लिय हम कार्य कर रहे हैं।

अलीगढ़ ताला उद्योग

४७१ **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ के ताला तथा धातु उद्योग में मन्दी आने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उस उद्योग को पुनः स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; तथा

(ग) गत तीन वर्षों में भारत में कितने ताले आयात किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अलीगढ़ के ताला उद्योग में मन्दी आने के कुछेक कारण ये ह :

(१) रक्षा विभाग की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये गत युद्ध में इस उद्योग का बहुत बड़ी हद तक विस्तार हुआ था, परन्तु युद्ध बंद होने के पश्चात् मांग घट गई तथा बहुत से छोटे छोटे कारखानों को अपना काम बंद करना पड़ा ।

(२) अलीगढ़ में बनाये गये पीतल के तालों तथा जी० आई० तालों की अपेक्षा जनता सस्ते किन्तु अच्छे इस्पात के बने तालों को पसन्द करती है ।

(३) अलीगढ़ के कुछ ताला बनाने वालों द्वारा जो नकली चीजें आदि बनाई जाती हैं उससे जनता का उन में विश्वास उठ गया होगा ।

(ख) हां, श्रीमान । उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कार्यवाही की है ।

(ग) तालों के आयात के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे विदेशी (जल, थल और वायु) व्यापार तथा भारतीय नौवहन के खाते में अलग रूप से नहीं दिखाया जाता है ।

ट्रैक्टरों के पुर्जे

*४८४. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी फर्में ट्रैक्टरों के पुर्जे बनाने का काम करती हैं; तथा

(ख) इस उद्योग में कितना धन लगा हुआ है ?

वानिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वैसे तो देश में ट्रैक्टरों के पुर्जे बनान का संघठित रूप स कोई काम नहीं होता है ।

(ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं ।

केन्द्रीय रेशम कीड़ा पालन अनुसन्धान केन्द्र

*४८९. **श्री एस० एम० घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहरामपुर, पश्चिमी बंगाल स्थित केन्द्रीय रेशम-कीड़ा-पालन अनुसल्धान केन्द्र कब स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इसे वहां से हटा कर बंगलौर ले जाने का कोई विचार है ;

(ग) यदि है, तो इसके कारण क्या हैं ; तथा

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई विरोधपत्र प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय रेशम-कीड़ा-पालन अनुसन्धान केन्द्र, अक्तूबर, १९४३ में स्थापित किया गया था ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न 'उत्पन्न नहीं होते हैं ।

नमक परामर्शदात्री समिति

५६. **श्री हेम राज** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि १९५३ में नमक परामर्शदात्री समिति की कुल कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) इस समिति के मुख्य कृत्य क्या हैं ;

(ग) इस वर्ष में इस ने क्या क्या सिफारिशें कीं तथा इन में से कितनी स्वीकार की गईं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक।

(ख) इस समिति का काम सरकार को उन सभी मामलों पर सुझाव देने का है जो कि इसे सौंपे जायें, तथा जिनका सम्बन्ध सामान्यतः भारतीय नमक उद्योग के वैज्ञानिक ढंग पर विकास से हो और विशेषकर उत्पादन में वृद्धि, नमक की किस्म में सुधार, लागत तथा मूल्यों में कमी, सक्षम वितरण तथा निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने से हो।

(ग) माननीय सदस्य शायद १९५३ के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण शामिल है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

विदेश सेवाओं के लिए भर्ती

५७. **श्री गार्डलिंगन गौड** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी विदेश सेवाओं के लिए सरकार कर्मचारीवृन्द को किस तरीके से भर्ती करती है ?

(ख) क्या यह व्यक्ति संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा चुने जाते हैं अथवा क्या इन्हें सीधे भर्ती किया जाता है ?

(ग) कितने प्रतिशत व्यक्ति सीधे भर्ती किये जाते हैं तथा वह किस आधार पर भर्ती किये जाते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क) तथा (ख). भारतीय विदेश-सेवा के लिए जो अधिकारी चुन लिए जाते हैं वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय विदेश-सेवा, भारतीय प्रशासन-सेवा आदि के लिये आयोजित वार्षिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर लिए जाते हैं। निम्न श्रेणियों के लिए कर्मचारी साधारणतः केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं के तत्स्थानी वेतन-स्तरों से लिए जाते हैं। यह लोग भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा अन्य प्राधिकृत प्रक्रिया द्वारा ली गई प्रतियोगिता की परीक्षाओं के आधार पर चुने गए होते हैं। सूचना अधिकारी तथा गवेषणा अधिकारी जैसे विशषता-प्राप्त अधिकारी सामान्यतः संघ लोक सेवाआयोग द्वारा, प्रत्येक पद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, भर्ती किये जाते हैं।

उन पदों के सिवाय जिनका उल्लेख किया गया है निम्न क्लर्कों की श्रणियों को छोड़ कर और कोई सीधी भर्ती नहीं होती है।

(ग) यह बात अभी तक ठीक तौर पर निश्चित नहीं की गई है कि कितन प्रतिशत कर्मचारियों को सीधी भर्ती द्वारा लिया जाना चाहिये। भारतीय विदेश सेवा 'क' में जो भी रिक्तताएं होती हैं उनका ९० प्रतिशत भाग संघ लोक सेवा द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाता है, तथा शेष १० प्रतिशत भाग श्रेणी 'ख' से कर्मचारियों को तरक्की दे कर भर दिया जायेगा जब कि विदेश सेवा श्रणी 'ख' की रचना होगी।

राजस्थान में सामुदायिक परियोजनाएं

५८. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मार्च १९५४ तक राजस्थान की सामुदायिक परियोजना-ओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित

की है तथा राजस्थान सरकार ने इस समय तक वास्तव में इस पर कितना धन खर्च किया ; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राजस्थान द्वारा जो कुछ व्यय किया जाना है, यह उसका कितने प्रतिशत भाग है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) २०.६३ लाख रुपये (इस में अनुदान तथा उधार दोनों शामिल हैं) जिस में से ३०-९-५३ तक ४.०२ लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) क्रमश: ११.३ तथा २.२ प्रतिशत

विशाखापटनम पोतनिर्माणशाला

५९. **श्री के० सुब्रहमण्यम्** : क्या **उत्पादन** मंत्री २ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९५४ के अन्त में विशाखापटनम पोत निर्माणशाला में कुछ ऐसे कमकरों को रखा कया था जिन्हें कोई भी काम आवंटित नहीं किया गया था ;

(ख) यदि रखा गया था, तो कितनों को ;

(ग) क्या उस काल के दौरान में कुछ पोत मरम्मत के लिए कारखाने में आये थ; तथा

(घ) यदि आये थे तो कितने ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) जी हां।

(ख) ३२१।

(ग) जी हां।

(घ) ग्यारह पोत, जिन में से कि दस पोतों की मामूली मरम्मत की जानी थी।

राजकीय सहायता प्राप्त आवास योजना

६०. **श्री बंसल :**
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिये राजकीय सहायता प्राप्त आवास योजना आरम्भ होने के समय से इन्हें अग्रिम धन तथा ऋण के रूप में;

(i) राज्य सरकारों और संविहित आवासबोर्डों को ;

(ii) औद्योगिक श्रमिकों के लिये सहकारी संस्थाओं को ; और

(iii) सेवा नियोजकों को प्रत्यक वर्ष कितनी रक़में दी गईं ; तथा

(ख) उक्त (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट ऐजेंसियों द्वारा प्रति वर्ष बनाये गये छोटे-छोटे मकानों की संख्या कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्टि २, अनुबन्ध संख्या २६].**

निष्क्रान्तों के मकानों से निष्कासन

६१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किराये की बकाया राशि अदा न करने के कारण क्रमश: १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में निष्क्रान्तों के कमानों से निष्कासित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों की जायदाद का नीलाम करके मकान का कुछ किराया वसूल किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के

मामलों की संख्या कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). सूचना संगृहीत की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

मध्य भारत कोयला क्षेत्र

६२. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ के प्रत्येक महीने में प्रत्येक रेलवे द्वारा मध्य भारत कोयला क्षेत्र की प्रत्येक खान से क्रमश: कितनी मात्रा के लिये कोयले का आदेश दिया गया ; और

(ख) इन कोयला खदानों द्वारा उक्त आदेशों पर वास्तविक रूप में भेजे गये कोयले की मात्रा कितनी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना संगृहीत की की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

शिक्षित बेरोजगारों की गणना

६३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर, स्नातक, अवर स्नातक और मैट्रिक पास पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की गणना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो शहरी और देहाती क्षेत्रों में उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो यद्यपि मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं लेकिन जिनकी पढ़ाई लिखाई उसी स्तर तक की है ; और

(घ) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है तो क्या इस तरह की गणना करने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ), शिक्षित बेरोज़गारों की किसी विशिष्ट गणना के कार्य का सूत्रपात नहीं किया गया है लेकिन पहले से आरम्भ किया गया नमूनापरिमाप का लक्ष्य बेरोज़गारों की शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त करना है । यद्यपि निश्चित आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते, लेकिन यह आशा की जाती है कि नमूना परिमाप के इस काम से प्रत्येक शिक्षा सम्बन्धी शीर्षक के अधीन बेरोज़गारों का प्रतिशत मालूम करने के लिये पर्याप्त काम चलाऊ आधार मिल सकेगा ।

क्लर्की, शिक्षा सम्बन्धी, एवं व्यवसाय गत श्रेणियों के लिये नौकरी दफ्तरों में नाम लिखाने वाले व्यक्तियों की संख्या बताने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या २७]**

कोयला खदानें

६४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री दिनांक २ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २७१ की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे :

(क) क्या राज्य कोयला खदानों से सार्वजनिक उपभोक्ताओं को कोई कोयला बेचा गया है, और यदि हां, तो वर्ष १९५२ और १९५३ में बेचे गये कोयले की मात्रा कितनी है ;

(ख) १९५२ और १९५३ में कोयले का कितना उत्पादन है ।

(ग) रेलों तथा अन्य सरकारी उद्योगों में उसकी खपत कितनी है ;

(घ) १९५२ और १९५३ में लाभ अथवा हानि क्या है ;

(ङ.) नियुक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(च) पूंजी का कुल विनियोग कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) हां।

१९५२	१५२,७७० टन
१९५३	७७,१८७ टन (लगभग)

(ख) राज्य कोयला खदानों का कुल उत्पादन इस प्रकार था :

१९५२	३,२७८,७०७ टन
१९५३	३,१३९,३४८ टन

(ग)—

	रेलें	दूसरे सरकारी उद्योग
	टनों में	टनों में
१९५२	२,८०५,६९५	१३०,०४४
१९५३	२,६५०,४५८	१४९,३४३

(घ)—

१९५१-५२ लाभ	११,२९,४७५ रुपये
१९५२-५३ लाभ	६१,२०,८०२ रुपय

(ङ)—

१९५१-५२ (औसत)	३२,४८८ रुपये
१९५२-५३ (औसत)	३२,८२४ रुपये

(च)—

१९५१-५२	७,३८,५६,३५४ रुपये
१९५२-५३	७,२८,२३,०५० रुपये

सिगरेट बनाने के कारखाने

६५. **श्री घूसिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के वे स्थान जहां सिगरेट बनाने के कारखाने स्थित हैं ; और

(ख) इन कारखानों द्वारा प्रयुक्त तम्बाकू और कागज़ का कितना प्रतिशत भाग आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, बंगलौर, मुंगेर और सहारनपुर ।

(ख) तम्बाकू	लगभग ५ प्रतिशत ।
कागज़	विशिष्ट वर्गों को छोड़ कर कागज़ के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है है ।

पारपत्र

६६. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान पारपत्र योजना के आरम्भ से ३१ जनवरी, १९५४ तक समाप्त होने वाली अवधि में कलकत्ते में रहने वाले कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने पाकिस्तानी पारपत्रों पर भारतीय इस्टांकों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(ख) पाकिस्तानी पार-पत्रों पर अभी तक कितने इस्टांक कलकत्ता में जारी किये जा चुके हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). सूचना संगृहीत की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

सत्यमेव जयते

शनिवार,
२७ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, २७ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी (हस्तान्तरित दायित्व) विधेयक

(समाप्त)

खण्ड ३—कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को शोधन—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी, लिमिटेड, पर केन्द्रीय सरकार को शोधन करने की जिम्मेदारी लादने वाले विधेयक पर और आगे विचार करेगा।

कल, खण्ड ३ पर विचार हो रहा था।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: कम्पनी और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में कल निर्देश हुआ था। मैंने उस समझौते की प्रति पुस्तकालय से प्राप्त करनी चाही परन्तु वह वहां पर उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि चर्चा आरम्भ होने से पहले इसका प्रबन्ध कर दिया जाये।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वह वहां पर नहीं है तो मैं उसे वहां पर रखवा दूंगा। उसे तो कल ही रख दिया जाना चाहिये था।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: समझौते की प्रति के बिना हम इस पर कैसे बहस कर सकते हैं क्योंकि समझौता इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की बात को मानता हूं कि यह समझौता आवश्यक है किन्तु साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अब उस समझौते में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समझौता तो हो गया। आप समझौते के लिये सरकार की आलोचना कर सकते हैं न कि स्वयं समझौते की। समझौते के गुणावगुणों का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विधेयक तो उस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि श्री एस० एस० मोरे और श्री विट्ठल राव के संशोधनों का सम्बन्ध समझौते के गुणावगुणों से है इसलिये वे अनियमित हैं। अतः यदि माननीय सदस्य को उन बातों के अलावा कुछ और कहना हो जो उन्होंने कल कहीं थीं तो वह कह सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : आपके निर्णय के पश्चात् मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४—केन्द्रीय सरकार को दी गई राशि में से कर्मचारियों को शोधन

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २२ में,

" re-employed " (पुनः नौकर रखे गये) शब्द के स्थान पर " taken over " (ले लिये गये) शब्द रख दिये जायें।

भारत सरकार ने जब कभी भी किसी लाइट रेलवे को अपने हाथों में लिया है उसने कर्मचारियों की नौकरी को बनाये रखा है। परन्तु इस मामले में "पुनः नौकर रखे गये" शब्दों का प्रयोग करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी पहले बार्सी लाइट रेलवे में काम करते थे उन्हें फिर से १ जनवरी, १९५४ से नौकर रखा गया है चाहे उस विशेष तिथि को वे कर्मचारी उस रेलवे में ३० वर्ष तक नौकरी ही क्यों न कर चुके हों। इसका अभिप्राय यह है कि नई रेलवे में इन लोगों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में निश्चय नहीं किया जा सकेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हर बात के लिये यही समझा जायेगा कि वे लोग १ जनवरी १९५४ को पुनः नौकर रखे गये हैं।

श्री अलगेशन : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वे कुछ ठीक सी प्रतीत नहीं होतीं। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को बहुत हानि होगी। परन्तु विधेयक का उद्देश्य तो उनके हितों की रक्षा करना है जैसे भविष्य निधि, छुट्टी वेतन आदि। केवल ज्येष्ठता का मामला रह जाता है। यह कोई पहली बार तो नहीं है जबकि सरकार इस प्रकार की लाइट रेलवे ले रही हो। वह पहले भी कुछ रेलवे ले चुकी है। उनके बारे में भी यही बातें उठी थीं और हमने ऐसी ही व्यवस्था की थी। कोई नई बात नहीं की जा रही है। रेलवे के अन्य भागों में काम करने वाले कर्मचारियों के मुकाबले में उनकी ज्येष्ठता पर प्रभाव पड़ेगा परन्तु जहां तक उनके बीच ज्येष्ठता का सम्बन्ध है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन लोगों को जो राशियां मिलनी हैं उन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। वे उन्हें पूरी पूरी मिलेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नये खण्ड ४ (क) को प्रस्तावित करने वाला संशोधन अनियमित है।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इसके पहले कि आप रेलवे उपमंत्री से भाषण देने के लिये कहें मैं आपका ध्यान क्रम-पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। बार्सी लाइट रेलव कम्पनी विधेयक के बाद प्रेस संशोधन विधेयक आता है परन्तु उसके स्थान पर अब एक दम से नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक रख दिया गया है। मेरे विचार में बिना पूर्व सूचना के इस प्रकार के परिवर्तन नहीं किये जाने चाहियें।

श्री अलगेशन : कोई नया विषय तो नहीं लिया गया है। यह विषय तो कल के क्रम-पत्र में था।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतः मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि जब वे किसी विशेष विधेयक के सम्बन्ध में अध्ययन करके आते हैं तो वह इस बात की आशा नहीं कर करते कि उसके स्थान पर दूसरा विधेयक ले लिया जायेगा। फिर भी, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यह भी क्रम-पत्र में उल्लिखित है। क्योंकि यह एक छोटा सा विधेयक है तथा इसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की सम्भावना है इसलिये मैं इसे अपवाद के रूप में लेता हूं। अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नौवहन नियंत्रण अधिनियम, १९४७ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

उद्देश्य तथा कारण के विवरण से जैसा पता लगेगा, नौवहन नियंत्रण अधिनियम की अवधि ३१ मार्च, १९५४ को खत्म हो जायेगी। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं यह अधिनियम भारतीय जहाज़ों को लाइसेंस देने के अधिकार जारी रखने तथा उनके द्वारा माल आदि ले जाने पर नियंत्रण रखने का उपबंध करने के लिये १९४७ में बनाया गया था। मूलरूप से ये अधिकार भारत सुरक्षा नियमों (डिफ़ेंस ऑफ़ इंडिया रूल्स) द्वारा दिये गये थे और बाद में इन्हें आपातकालीन अधिकार (प्रचलन) अध्यादेश द्वारा ३१ मार्च १९४७ तक जारी रखा गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत, तटीय व्यापार के सम्बन्ध में किराये तय करने के अधिकार भी लिये गये थे, जो मूल रूप से भारत सुरक्षा नियमों द्वारा दिये गये थे। उस समय विचार यह था कि अधिनियम को एक वर्ष के लिये अर्थात् ३१ मार्च, १९४८ तक जारी रखा जाये और अधिसूचना द्वारा एक वर्ष के लिये इसकी अवधि और बढ़ाने का अधिकार हाथ में रखा जाये। परन्तु १९४८ में यह फ़ैसला किया गया तटीय व्यापार में लगे जहाज़ों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में एक व्यापक प्रणाली निश्चित करने के लिये एक संशोधक विधान रखा जाये और उस समय अधिनियम की अवधि दो वर्ष के के लिये अर्थात् ३१ मार्च १९५० तक और बढ़ा दी गई। इसके बाद इस अवधि को १९५० में दो वर्ष के लिये और फिर १९५२ में दो वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया।

इस अधिनियम के अधीन सरकार का तटीय व्यापार में लगे भारतीय जहाज़ों पर पूरा नियंत्रण रहता है; वह इस विषय में नियंत्रण रखती है कि भारतीय जहाज़ किस क़िस्म के व्यापार में लगाये जा सकते हैं, ये कहां तक सफ़र कर सकते हैं, किस श्रेणी के

[श्री अलगेशन]

मुसाफ़िर और किस प्रकार का माल ले जा सकते हैं, भारत के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर इन जहाज़ों से किस प्राथमिकता के अनुसार माल और मुसाफ़िर चढ़ाये उतारे जा सकते हैं और इन जहाज़ों के किराये आदि की दर क्या होगी । इन अधिकारों के कारण सरकार तटीय व्यापार के सम्बन्ध में अपनी नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करती है । तटीय व्यापार की ज़रूरतें आम तौर से अब भारतीय जहाज़ों से ही पूरी हो जाती हैं; विदेशी जहाज़ों की अब कोई आवश्यकता नहीं होती । यह ठीक है कि कुछ चार्टर्ड जहाज़ों को आने-जाने दिया जाता है परन्तु वे पूर्णतः भारतीय कम्पनियों के नियंत्रण में हैं और इस समय उनका टन-भार २५,००० जी० आर० टी० से अधिक नहीं है ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने जो अधिकार ले रखे हैं वे उसे स्थायी रूप से चाहियें; वास्तव में वाणिज्यिक नौवहन सम्बन्धित सारे क़ानूनों में आवश्यक परिवर्त्तन करके और उनका एकीकरण करके इसका उपबन्ध करने का विचार था । हम आशा करते थे कि इन वर्षों में ये एकीकृत विधान तैयार हो जायगा और संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा परन्तु मुझे खेद है कि यद्यपि विधेयक का प्रारूप कुछ समय पहले ही तैयार किया जा चुका है लेकिन अभी तक उसको अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं हो सका है । प्रस्तावित विधेयक में निहित उपबन्ध कुछ जटिल प्रकार के हैं और उनमें बहुत सी प्रशासनिक एवं टेकनिकल गुत्थियां हैं और नौवहन महानिदेशालय में कर्मचारियों की कमी के कारण उसको अभी एक निश्चित रूप नहीं दिया जा सका है । इस निदेशालय में अब एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जिसने इस सम्बन्ध में कार्य शुरू कर दिया है और अब यह आशा की जाती है कि संसद् के अगले सत्र तक यह पुरःस्थापन के लिये तैयार हो जायेगा । इस बीच इस अधिनियम की अवधि दो वर्ष के लिये और बढ़ानी ज़रूरी है । मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे खेद है कि बार बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी हमारे सामने कोई व्यापक विधेयक नहीं लाया गया है । इस नौवहन नियंत्रण अधिनियम की अवधि बार बार बढ़ाई जाती रही है और आज फिर इसे १९५६ तक बढ़ाने के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि शायद सरकार यह नहीं चाहती कि सदस्यगण हमारे वाणिज्यिक नौवहन की वर्तमान स्थिति पर बहस करें और अपने विचार प्रस्तुत करें ।

हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि वह नौवहन के सम्बन्ध में एक दृढ़ और विचारपूर्ण नीति अपनाये । गत वर्ष सरकार ने नाविकों की मांगें पूरी करने के बारे में हमें आश्वासन दिया था; यह आश्वासन विशेषतः सीटिल अभिसमय के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में था, जो १९४६ में किया गया था । मैं इस बात को मानता हूं कि नाविकों की कुछ मांगों को विशेषतः डाक्टरी जांच से सम्बन्धित मांगों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं है; उनकी मांगों पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मैं इस सिलसिले में पाकिस्तानी नाविकों की कठिनाइयों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । कलकत्ते के बन्दरगाह में ये लोग बहुत अधिक संख्या में काम करते हैं; इन्हें दृष्टांकों के सम्बन्ध में तथा कड़ी डाक्टरी परीक्षा के कारण बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । हमें मानवी दृष्टिकोण से

ही नहीं बल्कि राजनैतिक महत्व की दृष्टि से भी इन पाकिस्तानी नाविकों का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि ये लोग अपने देश में जाकर हमारे यहां की दशा सुनायेंगे जिससे हम दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होने में काफी सहायता मिल सकती है।

इस विषय में माननीय उपमंत्री से पूछना चाहूंगा कि युद्ध-काल में भारतीय नाविकों की सुख-सुविधाओं के लिये ब्रिटिश कम्पनियों ने लगभग १४ लाख रुपये की जो राशि इकट्ठी की थी उसका क्या हुआ। मैं आशा करता हूं कि इस राशि का उचित प्रयोग ही किया जा रहा होगा।

गत वर्ष जब वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम का संशोधन किया गया था तो सरकार ने कहा था कि सीटिल अभिसमय के कुछ उपबन्धों का अनुसमर्थन कर दिया गया है और कुछ का बहुत शीघ्र ही कर दिया जायेगा। परन्तु हम यह नहीं जानते कि कौन से उपबन्ध अनुसमर्थित हो गये हैं और कौन से होने वाले हैं। हमें मालूम है कि सीटिल अभिसमय का एक मुख्य उपबन्ध नाविकों को मकान देने तथा डाक्टरी व भोजन सम्बन्धी सुविधायें आदि देने के बारे में था। विदेशी जहाज़ों में काम करने वाले भारतीयों के साथ जाति सम्बन्धी जो विभेद किया जाता है उससे उन्हें बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इनके खाने आदि की जो व्यवस्था है वह बहुत ही शोचनीय है; यदि कोई इसकी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ़ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा दिया जाता है। अमरीकी जहाज़ों में हालत बहुत खराब बताई जाती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यापक विधान में नाविकों द्वारा काम की हालत के बारे में की गई मांगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा। इस विधान के प्रस्तुत करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

इस सिलसिले में मैं उस मामले का ज़िक्र करूंगा जिससे कलकत्ते के नाविकों में कुछ उत्तेजना फैली हुई है। यह मामला कलकत्ता बन्दरगाह के उपनौवहन अधिकारी (डिप्टी शिपिंग मास्टर) के खिलाफ़ उन आरोपों के बारे में है जो 'मार्डन रिव्यू' जैसी सम्मानित पत्रिका ने उस पर लगाये हैं। उपनौवहन अधिकारी पर लाखों रुपया गड़बड़ करने का आरोप लगाया गया है। मुझे पता लगा है उस अधिकारी को अभी मुअत्तिल नहीं किया गया है; उसके खिलाफ़ केवल विभागीय जांच की जा रही है। यह अधिकारी नाविकों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिये बहुत ही बदनाम है। मेरा निवेदन है कि जब उस पर इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तो और अधिक कड़ी जांच की जानी चाहिये। अधिकारी को फ़ौरन मुअत्तिल करके एक अदालती जांच शुरू की जानी चाहिये।

विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के साथ किये जाने वाले भेदभाव के बारे में पिछली बार माननीय उपमंत्री ने कहा था कि सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान सर रामास्वामी मुदालियर द्वारा इंडिया स्टीमशिप कम्पनी की बैठक में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाता हूं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह ब्रिटिश नौवहन कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के व्यापार में रोड़े अटकाती हैं। उनका कहना है कि यद्यपि भारतीय कम्पनियां भारत इंग्लैण्ड सम्मेलन की सदस्य हैं फिर भी उन्हें उचित सुविधायें और अधिकार नहीं दिये जाते। उदाहरण के लिये, जब कोई भारतीय जहाज़ कोलम्बो या अदन या अन्य किसी स्थान तक माल ले जाता है तो उसे अपना माल खाली करके दूसरा माल आगे इंग्लैण्ड की ओर नहीं ले जाने दिया जाता। उन्हें वहां से खाली जाना होता है जिससे उन्हें बहुत नुक़सान होता है।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य होते हुए भी ब्रिटिश कम्पनियां उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। यद्यपि हम सर रामास्वामी मुदालियर जैसे व्यक्तियों के विचारों से असहमति प्रकट करते रहे हैं, फिर भी मैं उनके वक्तव्य को यह प्रमाणित करने के लिये उद्धरित करता हूं कि इन जैसे लोग भी, जिनके ब्रिटिश या अन्य विदेशी कम्पनियों में निजी स्वार्थ निहित हैं, इस बात का अनुभव करते हैं कि भारत सरकार की नीति अनुचित है। मैं चाहता हूं कि सरकार एक दृढ़ और निश्चित नीति से काम ले ताकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके। इसी प्रकार ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के प्रधान ने शिकायत की है कि ब्रिटिश कम्पनियां भारत और फ़ारस की खाड़ी के बीच होने वाले व्यापार को बन्द करने का प्रयत्न कर रही हैं। उनका कहना है कि एक बहुत पुरानी ब्रिटिश कम्पनी ने इस व्यापार पर अपना पूरा क़ब्ज़ा जमा रखा है और वह नहीं चाहती कि इसमें कोई और कम्पनी हिस्सा बटाये। उन्होंने कहा है कि इस तरह से एक मालदार ब्रिटिश कम्पनी का भारतीय कम्पनियों को न पनपने देना बहुत ग़लत और अनुचित बात है और सरकार से आशा है कि वह इस विषय में चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। तो मैं इस गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उससे अनुरोध करता हूं कि इस तरह के भेद-भाव को रोकने के लिये वह अपना पूरा पूरा ज़ोर लगा दे ताकि भारतीय नौवहन का यथासम्भव विकास हो सके।

हमारी सरकार ने तेल के कतिपय समवायों के साथ उनके लिये ऐसे बहुत ही अनुकूल शर्तों पर कतिपय करार किये हैं जो कि, जहां तक मैं समझ सकता हूं, निन्दनीय हैं और हमारे देश के हितों के प्रतिकूल हैं। ये तेल के समवाय तेल के यातायात का कार्य करेंगे और भारतीय नौवहन सार्थों ने इसका बहुत विरोध किया है। कुछ समय हुआ भारतीय राष्ट्रीय जहाज़ स्वामियों की संस्था की वार्षिक बैठक बम्बई में हुई थी जहां इस संस्था के प्रधान ने अपने वक्तव्य में कहा कि समझ में नहीं आता कि भारत सरकार इन नौवहन सम्बन्धी खण्डों को तेल के करारों में दर्ज करने के लिये कैसे सहमत हो गई जबकि इस के फलस्वरूप भारत के अपने टैंकर न केवल विदेशों से साफ किया हुआ तेल ला नहीं सकते, अपितु वे तट के साथ साथ भी तेल लाने ले जाने का कार्य नहीं कर सकते। हमारे उत्पादन मंत्री ने, जो उस बैठक में उपस्थित थे, यह कहा कि जब तेल समवायों के साथ बातचीत हो रही थी उस समय भारत के पास टैंकर नहीं थे और न ही इतनी शीघ्र टैंकर प्राप्त कर लेने की सम्भावना थी। इस कारण जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, उन टैंकरों को तट पर तेल लाने ले जाने की अनुमति दी गई। 'ईस्टरन इकानामिस्ट' के सम्पादकीय में लिखा है कि श्री रेड्डी का तट सम्बन्धी आरक्षण के बारे में यह कहना कि पूर्ण आरक्षण का तभी विचार किया जा सकता है जब भारत के अपने टैंकरों का एक अन्तःसार हो, जले पर नमक छिड़कना था। कारण यह कि कोई भारतीय जहाज़ स्वामी टैंकरों के पूर्ण आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। वे तो केवल यह चाहते थे कि इन बाहर जाने वाली राशियों में उनका भी न्यायोचित भाग हो। यह तो सरकार को पहले सोचना चाहिये था कि भारत का तेल के टैंकरों का एक अपना बेड़ा होना चाहिये जिसे चाहे स्वयं सरकार चलाये, चाहे भारत के किसी व्यापारी वर्ग के सहयोग से। परन्तु विदेशों के बड़े बड़े समवायों के साथ करार कर लेने पर हमें समझना चाहिये कि हमारे साथ यह सहयोग नहीं होगा। हमें कम से कम यह तो देखना चाहिये कि तेल का तटीय यातायात विदेश के इन बड़े एका-

धिकारी समवायों के हाथ में न हो। जिन एकाधिकारी समवायों का हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार जमा हुआ है उनके प्रति इस व्यवहार से पता चलता है कि सरकार अपने आपको स्वयं नहीं समझ रही। सरकार ने समय समय पर तटीय नौवहन में भारतीयों के लिये कुछ रक्षण करने की बात कही है परन्तु इसका व्यवहार इसके विपरीत रहा है।

सिन्दिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के प्रधान ने कहा है कि तटीय यातायात में भी उन्हें विदेशी सार्थों की अवैध प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता है। परिणाम यह है कि कलकत्ता से बर्मा कोयला ले जाने और बर्मा से लंका चावल ले जाने के लिये विदेशी नौवहन सार्थों के साथ संविदा हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारी सरकार को देश के जहाज़ निर्माण उद्योग की सहायता करनी चाहिये। गत वर्ष हिन्दुस्तान शिपयार्ड में से ९०० ऐसे व्यक्तियों की छंटनी की गई, जिन्होंने जहाज़ बनाने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यह इस कारण हुआ कि कारखाने में काम नहीं था। हमें ऐसी अपमानजनक बात पर लज्जित होना चाहिये। कहा गया कि हमारे पास जहाज़ के कारखाने के लिए लोहा नहीं है, लकड़ी नहीं है जिससे कारखाना चल सकता और इसीलिये छंटनी करनी पड़ी। परन्तु परिणाम यह रहा कि विदेशी सार्थों के जेब भरने पड़ते हैं। हमारे नौवहन का विस्तार प्रभावी नहीं है। उप-मंत्री भले ही प्रतिशतता के आधार पर कहेंगे कि यह प्रभावी है परन्तु यह सर्वथा गलत है। संसार के व्यापार में हमारा हिस्सा ढाई प्रतिशत है परन्तु संसार के जहाज़ों के टनभार में हमारा हिस्सा केवल आधा प्रतिशत है। कुछ वर्ष हुए नौवहन नीति निर्धारण उप-समिति ने २० लाख कुल पंजीबद्ध टन-भार का लक्ष्य प्रस्तुत किया था। उसकी तुलना में योजना आयोग द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य कि १९५६ तक हम ६ लाख कुल पंजीबद्ध टन-भार प्राप्त करेंगे, देश के हित के सर्वथा प्रतिकूल है। ३५०० मील लम्बे तट, तटीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र की देनगियों की बकाया की स्थिति को परिवहन भारों द्वारा पूरा करने और अपनी प्रतिरक्षा तथा सामरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए हमारे व्यापारी जहाज़ों का टन-भार बढ़ाया जाना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब हम में कल्पना शक्ति हो और विषय सुलझाने का साहस हो।

गत मास के 'इंडियन शिपिंग' में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि परिवहन मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि आज भारत के जहाज़ों का टन-भार साढ़े चार लाख है। उन्होंने बताया कि साढ़े चार लाख टन-भार से १९५६ के लक्ष्य बिन्दु अर्थात् छः लाख टन-भार तक पहुंचने में लगभग ३५ करोड़ रुपया व्यय होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में इतनी बड़ी राशि के नियत करने का कोई उल्लेख नहीं है। यदि इतनी बड़ी राशि अर्थात् आवश्यकता से अधिक राशि आप व्यय कर रहे हैं तो यह प्रसन्नता की बात है। परन्तु यह रुपया कब दिया जायेगा। और कैसे व्यय होगा।

इससे मुझे कलकत्ता पत्तन के सम्बन्ध में भी विचार आता है। यह पत्तन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है और ४० प्रतिशत व्यापार इसी द्वारा होता है। यदि हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना है तो इस पत्तन का विकास किया जाना चाहिये। इसके लिए अधिक धन राशि नियत करनी चाहिये ताकि यह पत्तन इसके आस पास के क्षेत्र के विस्तृत उद्योग के अनुरूप बन सके।

गत वर्ष परिवहन मंत्रालय ने एक प्रतिवेदन में बताया था कि तटीय व्यापार भारतीय

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

नौवहन के लिये रक्षित किया जा सकता है। परन्तु १९४९–५० से १९५१–५२ तक के आंकड़ों से पता चलता है कि तटीय व्यापार में अंग्रेज़ी जहाजों का टन-भार भारतीय जहाज़ों से अधिक है।

एक बात के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या "भारतीय पंजीबद्ध जहाजों" की मद के अधीन अंग्रेज़ी जहाज़ भारतीय जहाज़ों के समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? न केवल दूसरे देशों के साथ व्यापार में वरन् देश के नौवहन में भी हम बहुत अधिक अंग्रेज़ी जहाज़ों को देखते हैं। वे हमारे श्रमिक लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। हाल में ही अंग्रेज़ी समवायों में काम करने वाले लगभग १०,००० श्रमिकों ने हड़ताल की। उन्हें बहुत निन्दनीय और अत्याचारपूर्ण ढंग से दबाया गया। यदि ये अंग्रेजी नौवहन समवाय किसी न किसी प्रकार भारतीय पंजीबद्धता प्राप्त कर सकते हैं तो हमें इस बात को रोकने का प्रयास करना चाहिये।

जहाज़रानी के जहाज़ों के सम्बन्ध में एक प्रश्न है। इन जहाज़ों के लिए कुछ वैधानिक उपबंधों की आवश्यकता है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार किस प्रकार के उपबंध करना चाहती है।

व्यापारी जहाजों के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिए संसद् को बहुत से सम्बन्धित विषयों को जानने की आवश्यकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि सरकार हमें और अधिक तथ्य नहीं बताती। वह हमें यह नहीं बताती कि तटीय नौवहन भारतीय सार्थों के लिये रक्षित रखने के लिए वह क्या कर रही है, उसकी नीति किस प्रकार चल रही है और हम किस कारण अब तक विदेशी सार्थों पर निर्भर रह रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्धी में भी कुछ नहीं बताया कि गत वर्ष मंत्री ने भारतीय सार्थों के विरुद्ध भेदभाव के सम्बन्ध में जहाज़ों में कार्य करने वाले लोगों की स्थिति के बारे में जो आश्वासन दिया था उसको कैसे पूरा किया जा रहा है। ये विषय इतने बड़े हैं कि इन पर लम्बी चर्चा की आवश्यकता है। यह विधान बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के हितों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस लिए सरकार को केवल इसकी अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की बजाय एक पूर्ण वक्तव्य देना चाहिये कि वह हमारे नौवहन के विकास और जहाजों में कार्य करने वालों के लिए क्या करना चाहती है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : बिना किसी पक्षपात के मैं अपने माननीय मित्र श्री मुकर्जी के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं। नौवहन में भारत का जीवन निहित है। परन्तु हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

हमने अंग्रेजी शासन के अधीन बहुत कष्ट झेले और अब भी शक्तिशाली अंग्रेज़ी साम्राज्य की छाया हम पर पड़ी हुई है और हम वैसे ही कष्ट झेल रहे हैं। अमरीका का गणराज्य सागर पर शासन कर रहा है क्योंकि उसके जहाज़ और जहाज़ बनाने के समवाय संसार में सब से अधिक हैं। इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति संसार में बहुत हीन है जिसे स्वतन्त्रता के नाते हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास लोहा है, हमारे पास जनशक्ति है। यह समय है जबकि स्वतन्त्र भारत की सरकार को नौवहन अपने हाथ में लेकर तटीय व्यापार में इसका संचालन करना चाहिये।

यदि सरकार को यह अधिकार है कि वह विदेशी जहाजों से संविदाएं करे, वह इन संविदाओं को केवल इस कारण से रद्द कर

सकती है कि वे जाति-भेद करते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को आत्म-सम्मान की भावना से वे डाक ले जाने के आदेश रद्द कर देने चाहियें जो वह पी० एण्ड ओ० जहाजों को देती है क्योंकि इन जहाजों के सम्बन्ध में यह आरोप लगाये गये हैं कि उन जहाजों में छोटे बच्चों के साथ जाति-भेद का व्यवहार किया है।

१९४७ तक विदेशी जहाजों पर हमारा अपमान होता था और अब भी यदि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे बच्चों के साथ जाति-भेद का व्यवहार किया जाए तो बिना भय के इन जहाजों की संविदाएं रद्द की जानी चाहियें।

भारतीय जहाजियों और टैंकरों के विषय जुड़े हुए हैं। हम विदेशी जहाजों पर निर्भर रहते दिखाई देते हैं। आज भी हम अंधेरे में टक्करें मार रहे हैं और स्वतन्त्र प्रणाली को नहीं अपना सके। ईरान और अफ्रीका के मार्गों पर हमारा हिस्सा नहीं है। इसका क्या कारण है ? अफ्रीका में अंग्रेज कीनिया को अपना स्वर्ग बनाना चाहते हैं। इसलिए किसी को वहां घुसने नहीं देते। नौवहन के साधन द्वारा वे अधिकार जमाये रखना चाहते हैं।

संसद् के कुछ सदस्य कोचीन से बम्बई तक एक नौ-सेना के जहाज में गये थे। हमने वहां भारतीय जहाजियों की स्थिति को देखा। उनकी स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी हालांकि नौवहन समवाय बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

हम आई० एन० एस० दिल्ली के बायलर के कमरे में गये। वहां २०००° की गर्मी थी। हमें घबराहट हुई। वहां काम करने वाले लड़कों ने हमें बताया कि उन्हें पीने के लिए नीम्बू का पानी तक नहीं दिया जाता जिससे कि वे बिना कठिनाई के अपना काम कर सकें।

जिस ढंग से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है मैं उसे पसन्द नहीं करता क्योंकि इसमें हमें सभी कुछ कहने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। यह एक राष्ट्रीय उप-क्रम है और इसका सम्बन्ध भारत के वाणिज्य तथा व्यापार से है इसलिए हमें सब कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिये।

१९५३ में भारत के पास संसार के टन-भार का केवल ०.५ प्रतिशत था। हमारी आज भी वैसी ही स्थिति है। पता नहीं कि हम अपने टन-भार को कब बढ़ायेंगे।

मैंने १९५२ में रक्षा प्राक्कलनों में टैंकरों का विषय रखा था। हिटलर को ब्लिट्ज़ से हाथ धोने पड़े क्योंकि टैंकर न होने के कारण उसके पास पैट्रोल नहीं था। यदि युद्ध आरम्भ हो जाए तो हमारा कोई आश्रय न होगा। और विदेशी समवाय किसी समय भी यह कह कर कि "हम तुम्हें पैट्रोल नहीं देंगे" हमें धोखा दे सकते हैं। विदेशी जहाजों को अपने टैंकर रखने का जो अधिकार उत्पादन मंत्री ने दिया है वह नहीं देना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक एक समाप्त होने वाली विधि को जारी रखने के लिए है ? जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है प्रकरण संगत विषय यह है कि यह विधि जारी रहनी चाहिये अथवा नहीं और यह उपयोगी है या नहीं। देश के नौवहन सम्बन्धी सामान्य नीति का विषय प्रकरण संगत नहीं है।

श्री जोकीम आल्वा : मेरा केवल यह निवेदन है कि टैंकर भी भारतीय नौवहन का भाग हैं।

मैं इस विधेयक के महत्व को कम नहीं करना चाहता। १९४७ में जब हमने अधिकार सम्भाला था तो यह विधेयक पारित किया गया था। उस समय यह विचार नहीं किया

[श्री जोकीम आल्वा]

जा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। हम ने दो, तीन वर्ष में १७० करोड़ रुपये के खाद्य का आयात किया। इसे विदेशी जहाजों में मंगवा कर हमें गाढ़े पसीने से कमाया हुआ विदेशी मुद्रा का बड़ा भाग देना पड़ा। इस समय हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये थी कि १९५६ तक ६ लाख की बजाय हम १० लाख टन-भार प्राप्त कर सकते। मंत्रालय को इस विषय से सम्बन्धित सब सार्थों अर्थात् रेलवे नौवहन और लोहे तथा अन्य सम्बन्धित परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, हम सब यह बात मान सकते हैं कि भारतीय नौवहन में ब्रिटिश एकाधिकार का अन्त किया जाना एक अच्छी बात है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि श्री एच० एन० मुकर्जी के इस विधेयक सम्बन्धी भाषण से प्रकट होता है कि वे केवल इसी बात से सन्तुष्ट हुए कि ब्रिटिश एकाधिकार का अन्त किया गया है और उन्हों ने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि इस ब्रिटिश एकाधिकार का स्थान भारतीय एकाधिकार ने लिया है। हम किसी भी सेवा में एकाधिकार को बुरा समझते हैं, चाहे यह एकाधिकार विदेशी हो या स्वदेशी।

मेरे माननीय मित्र श्री आल्वा ने, अपने भाषण में कहा कि सरकार ने अपने जहाज़ खरीदने का एक अवसर खोया जब कि हमें लाखों टन अनाज विदेशों से लाने थे। उन्होंने कहा कि अपने जहाज़ खरीदने से वह विदेशी मद्रा हम बचा सकते थे जो हमें विदेशी जहाज़ों में अनाज लाने पर खर्च करनी पड़ी। परन्तु हम विदेशी मुद्रा बचा कैसे सकते थे? जहाज़ों के खरीदने पर हमें हजार गुनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती और फिर अनाज लाने के पश्चात् हम इन जहाज़ों का क्या करते? खैर, यह एक अलग बात है।

नौवहन नियंत्रण के विषय पर एक व्यापक तथा एकीकृत विधेयक प्रस्तुत करने में जो सरकार की रफ्तार रही है वह प्रशंसनीय तो नहीं है। मूल अधिनियम तो १९४७ में एक वर्ष की अवधि के लिये पारित किया गया था। अधिनियम के निर्माताओं का विचार था कि थोड़े ही समय तक वे इस विषय सम्बन्धी दूसरा व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे। यह ठीक है कि एक उपबन्ध यह भी था कि सरकारी घोष-पत्र में अधि-सूचना दे कर अधिनियम की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जा सकती है। परन्तु हुआ क्या? तीन बार दो दो वर्ष के लिये अधिनियम की अवधि बढ़ाई गई, और अब चौथी बार फिर दो वर्ष की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है। हम यह समझ नहीं सकते कि सरकार इस महत्वपूर्ण सेवा के विषय में अपने वचनानुसार एक व्यापक तथा एकीकृत विधेयक प्रस्तुत करने में असमर्थ क्यों रही है। इस विलम्ब के कारण सदन में उत्पन्न हो सकने वाली शंकाओं तथा संदेहों को दूर करने के अभिप्राय से माननीय मंत्री, श्री अलगेशन ने दूसरे सदन में इस बात पर बहुत जोर दिया कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का नौवहन पर पूर्ण नियंत्रण है। यदि उन को इस बात का इतना निश्चय है तो कोई उन से पूछ सकता है "आप केवल दो वर्ष का कालविस्तार ही क्यों चाहते हैं? आप इस अधिनियम को स्थायी कर के विधि-पुस्तक में सम्मिलित क्यों नहीं कर लेते?"

यह ठीक है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का नौवहन उद्योग पर नियंत्रण का तथा तटवर्ती व्यापार को भारतीय नौवहन के लिये रक्षित रखने का अधिकार मिला है। परन्तु क्या नौवहन नियंत्रण विधेयक का केवल

यही उद्देश्य है ? हमें बताया जाता है कि नौवहन गैरसरकारी औद्योगिक क्षेत्र में हैं। और यह बात हमें ऐसे बताई जाती है जैसे कि गैरसरकारी क्षेत्र को नौवहन व्यापार सौंपने से सरकार ने नौ वहन सेवा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो।

श्रीमान्, मुझे पता है कि जहां कहीं भी नौवहन में भारतीय एकाधिकार है वहां उस में त्रुटियां हैं। मैं निजी अनुभव का एक उदाहरण देता हूं। बम्बई से गोआ जाने वाली कोंकन लाइन नामक एक यात्री नौवहन सेवा है। भूतकाल में जब एक अंग्रेजी समवाय तथा दो या तीन भारतीय समवाय इस मार्ग पर अपने जहाज़ चलाते थे तो किराया भी उचित था और यात्रियों को उचित सुविधायें भी मिलती थीं। अब जो यह सेवा एक एकाधिकार वाले भारतीय समवाय के हाथ में है तो किराया भी बहुत अनुचित है और सुविधायें भी पहले जैसी नहीं हैं। इसलिये सरकार का कर्तव्य केवल ब्रिटिश एकाधिकार के स्थान पर भारतीय एकाधिकार स्थापित करने अथवा नौवहन को गैरसरकारी क्षेत्र में रखने से ही पूरा नहीं होता। सरकार को चाहिये कि पूरा नियंत्रण करे।

नौवहन नियंत्रण के विषय में जो कुछ भी हम करें, हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि नौवहन सेवा एक सार्वजनिक उपयोग की सेवा है। यदि हम यह बात याद रखें तो वर्तमान अधिनियम के अतिरिक्त कुछ और भी किया जाना चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य है कि यात्रियों का किराया तथा भाड़े की दरें विनियमित करे। सरकार को चाहिये कि इस विषय के सम्बन्ध में एक विधान प्रस्तुत करे ताकि इस सेवा का गुण-प्रकार पर्याप्त रहे और किराये की दरें उचित हों।

मेरी राय में सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि सदन इस विषय के सम्बन्ध में एक व्यापक तथा एकीकृत विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में सरकार की लापरवाही और अनुचित रवैये को अच्छा नहीं समझता। माननीय मंत्री, श्री अलगेशन ने कहा कि सरकार इस विधेयक के सारे उपबन्ध एकीकृत व्यापार नौवहन विधेयक में सम्मिलित करना चाहती है। उन्हों ने साथ ही कहा कि जब तक ऐसा किया जाये तब तक हमें कोई हानि नहीं होगी। परन्तु यदि सरकार सचमुच यही समझती है कि कोई हानि नहीं होती, तो मुझे डर है कि वह व्यापक विधेयक जिस का वचन दिया गया है, हमारे सामने लाये जाने की कोई विशेष आशा नहीं। यदि सरकार का आगामी सत्र में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का सच्चा इरादा है तो वर्तमान विधेयक का एक वर्ष के लिये समय विस्तार करना पर्याप्त है। दो वर्ष की अवधि बढ़ाने की फिर क्या आवश्यकता है ?

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि—दक्षिण) : श्रीमान, यह एक बहुत ही सादा विधेयक है। उद्देश्य यह है कि उस विधान की अवधि दो वर्ष से बढ़ाई जाये जो विदेशी राज के दिनों में भारतीय नौवहन को उचित संरक्षण देने के लिये अधिनियमित किया गया था।

युद्धकालीन आपात के आधार पर अंग्रेजों ने ब्रिटिश नौवहन को भारतीय नौवहन के प्रति बहुत ही अधिक एवं अनुचित संरक्षण दिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत नौवहन प्राधिकारियों को भारतीय नौवहन को निदेश देने तथा समवायों को केवल कुछ ही मार्गों पर जहाज़ चलाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त था। मैं एक संगठन का सचिव था और मुझे निजी अनुभव के आधार पर पता है कि भारतीय जहाज़ों को जबर्दस्ती कुछ ऐसे मार्गों पर चलने को कहा जाता था जिन पर वह चला नहीं करते थे। इस प्रकार बहुत अन्याय हुआ और सरकार को बहुत शिकायतें

[श्री म० डी० जोशी]

भेजी गई । अन्त में विशेष मार्गों तक ही विशेष जहाज़ों को सीमित रखने की पद्धति हटा ली गई । ऐसी कोई पद्धति चलाना वास्तव में संविधान की भावना के विपरीत है । इस अधिनियम की धारा ५ (क) में कहा गया है कि नौवहन प्राधिकारी लाइसेंस देते समय यह निदेश भी दे सकते हैं कि जहाज़ किन मार्गों पर चलाये जायें और कहां कहां भेजे जायें । संविधान के अनुच्छेद ३०१ में कहा गया है कि भारत के सीमा क्षेत्र में व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और अनुच्छेद ३०२ में कहा गया है कि संसद् ही वैधानिक उपबन्ध कर के सार्वजनिक हित के लिये व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा ५ (क) संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है । इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने का अभिप्राय यह होगा कि यह अनुचित उपबन्ध भी जारी रहेगा । मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है कि एक व्यापक विधान बनाया जाये । यह उचित नहीं कि संसद् शीघ्रता से एक ऐसी व्यवस्था को जारी रखे जो संविधान का उल्लंघन करती हो ।

मेरे मित्र, श्री गांधी ने एक प्रश्न उठाया जो मेरे इलाके के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है । यह प्रश्न यात्री जहाजों में किराये के दर का है । गत वर्ष मैं ने एक प्रश्न रखा था कि सरकार का किराये के दर को कम करने का कोई विचार है ? उत्तर मिला—"नहीं" । मैं ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा कि क्या सरकार नौवहन समवायों के लेखों की परीक्षा कर के उन्हें जनता के सामने रखेगी ? इस का भी नकारात्मक उत्तर मिला । मैं नहीं चाहता कि अवश्य ही लेखे जनता के समक्ष रखे जायें । परन्तु समवाय किराये की ऊंची दरों को उचित बताते हैं और केवल यही तर्क देते हैं कि उन की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि वह किराया कम करें । और जब उन से कहा जाता है कि जनता को इस बात का विश्वास दिलायें कि वर्तमान किराये की दरें रखना क्यों आवश्यक है तो वह उत्तर देते हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं ।

मैंने सिन्दिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के प्रधान का एक भाषण पढ़ा जो कल समाचार-पत्रों में छपा था । कितना विचित्र संतोष दिलाया था उन्हों ने । उन्हों ने हमें यह आश्वासन देने की कृपा की कि कम्पनी को अब अपने किराये के दर बढ़ाने का कोई विचार नहीं । हम गत तेरह वर्ष से किराये में कमी करने की मांग कर रहे हैं । १९२२ में बम्बई से रत्नागिरि तक का किराया ३ रुपये थे । फिर १९४० में सिन्दिया की कम्पनी मैदान में आई । यह ठीक है कि यह समवाय एक बहुत ही बड़ा समवाय है और इस ने स्वतंत्रता-संघर्ष के दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में अन्य ब्रिटिश समवायों का डट कर मुकाबला किया । हमें इस बात पर गर्व है । परन्तु जब समवाय का निर्धन जनता के साथ न्याय करने का प्रश्न आया तो यह समवाय अपना कर्तव्य करने में बुरी तरह असफल रहा ।

श्रीमान्, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में नियंत्रण करना चाहिये । किराये की दरों को नियन्त्रित करने के अधिकार को सरकार पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं करती । मैं माननीय उपमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को दिये गये अधिकारों का प्रयोग कर के किराये के दर उचित स्तर पर लायें ।

मैं किराये की दरों की बात कर रहा था । १९२२ में बम्बई से रत्नागिरि का किराया ३ रुपये था । १९४० में सिन्दिया कम्पनी क्षेत्र में आई और एकदम १९३९ में

विद्यमान २ रुपये की किराये की दर को बढ़ा कर ५ रुपये कर दिया गया। १९४९ में सहसा ही किराया फिर से बढ़ा कर ७ रुपये आठ आने कर लिया गया। जैसे मेरे मित्र श्री गांधी ने कहा, यह बात स्पष्ट ही है कि रेलवे का किराया अधिक हो सकता है क्योंकि रेलवे में खर्च भी बहुत लगता है। परतु जहाज़ कम्पनियां विचित्र कारण बताती हैं। वे कहती हैं कि कोयले का दाम बढ़ गया है और इंजीनियरों, चालकों आदि के वेतन बढ़ गये हैं और इसलिये किराये की अधिक दरें रखना आवश्यक है। उन का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा यात्रियों के स्थान के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के फलस्वरूप कई जहाज़ों में ११०० यात्रियों के स्थान पर अब ८०० यात्री ही लिये जाते हैं। यह सारे तर्क अनिश्चयात्मक हैं। मैं मानता हूं कि अब जहाज़ों के निर्माण पर बहुत खर्च आता है परन्तु फिर भी इतना अधिक किराया उचित नहीं। तीसरे दर्जे के गरीब यात्रियों के प्रति न्याय नहीं हो रहा है। हम सरकार को इस बात की बधाई देते हैं कि उस ने रेलवे में तीसरे दर्जे के यात्रियों को यथासम्भव सारी सुविधायें दी हैं परन्तु जहाज़ों में यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को, विशेषकर तटीय यात्रा करने वालों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह आलस्य छोड़ कर इस बात के प्रति अपनी उदासीनता छोड़ दे।

जहाज़ों की टन-भार की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। बम्बई स्टीम नेविगेशन कम्पनी, जिस को १९५३ की बम्बई स्टीम कम्पनी के नाम से पुनः चलाया जा रहा है, के तीन जहाज नष्ट हुए—एक, कुछ वर्ष पूर्व जब कि बम्बई के निकट दुर्घटना में ६०० व्यक्ति मर भी गये; और दो १९४९ के नवम्बर मास में जब चक्रवात चला। उन के पास अब ४४ लाख रुपये की कीमत वाले दो। अच्छे जहाज हैं और जहाज़ी यात्रा का ऊंचा किराया रखने का यह भी एक आधार बताया जाता है। मेरा निवेदन है कि जब सरकार विशाखापतनम यार्ड और अन्य स्थानों पर भारतीय जहाज़ों के निर्माण की ओर ध्यान देती है तो उस को चाहिये कि कोंकन तट के लिये सुसज्जित जहाज़ों का बेड़ा भी प्रदान करे।

मैं श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा कही गई कुछ बातों का निर्देश करना चाहता हूं। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह भूल गये हैं कि कलकत्ता भी भारत का एक भाग है। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के बारे में वह ऐसा कह सकते हैं। मेरे विचार में वह और किसी बात पर क्रुद्ध थे और उन्होंने यह क्रोध इस अवसर पर अनुचित ढंग से प्रकट किया है।

मुझे श्री आल्वा की एक बात पर भी आश्चर्य हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का उत्तर देना माननीय मंत्री पर न छोड़ा जाये ? मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कहता हूं।

श्री एम० डी० जोशी : मैं ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात। माननीय सदस्य बाद में अपना भाषण जारी रखें। अब सभा ५ बजे तक के लिये स्थगित हो जायेगी।

(इस के पश्चात् सभा ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सभा पांच बजे पुनः समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री कुछ अस्वस्थ थे, इसलिए वह बैठ कर ही अपना भाषण दे सकते हैं।

५ म० प०

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): धन्यवाद, श्रीमान्।

सामान्य आयव्ययक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं वर्ष १९५४–५५ के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

वार्षिक आयव्ययक पेश करने के समय उस वर्ष की आर्थिक स्थितियों के पुनः विलोकन का अवसर मिलता है जिस के आधार पर अगले वर्ष का बजट तैयार किया गया है और मैं समाप्त हो रहे वर्ष के सम्बन्ध में देश की अर्थ व्यवस्था की मुख्य बातों का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं ।

दूसरे देशों की भांति भारत भी युद्ध के पश्चात् सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर होता रहा है यद्यपि कोरिया में युद्ध छिड़ जाने के कारण इस की प्रगति में कुछ गड़बड़ हुई और इस में कुछ विलम्ब भी हुआ । 'सामान्य स्थिति' पर वापस आने की आदेशिका १९५२ में शुरू हुई और १९५३ में यह जारी रही । इस तरह से जब कि दिसम्बर, १९५१ के अन्त में सभी वस्तुओं का मूल्य देशनांक ३९७·१ से बढ़ कर ४३२·२ हो गया, दिसम्बर १९५२ के अन्त में यह गिर कर ३७४·५ पर आ गया—अर्थात् यह उसी स्तर पर रहा जो कोरिया में युद्ध छिड़ जाने के समय था । १९५३ में मूल्यों में उतार चढ़ाव पूर्व वर्ष की अपेक्षा कुछ कम रहा तथा दिसम्बर १९५३ के अन्त में देशनांक पांच प्रतिशत से कुछ कम बढ़ गया और ३९२·६ रहा । वर्ष के पहले महीनों में तथा अगस्त के मध्य तक मूल्यों में निरन्तर किन्तु मामूली वृद्धि हुई; इस के कुछ अस्थाई कारण थे । सम्भरण स्थिति जरा सी पेचीदा थी और यह कठिनाई काली मिर्च, चीनी, कपास तथा मूंगफली जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के कम उत्पादन की आशा से और भी बढ़ गई । चीनी तथा कपास जैसी कुछ वस्तुओं की मांग भीतरी उपभोग के कारण बढ़ गई और इन सभी बातों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि कीमतें कुछ बढ़ने लगीं । सम्भरण स्थिति को सुधारने के लिए तथा कीमतें घटाने के लिए समय समय पर उपाय किये गए, और इन में से कुछ उपाय यह है कि गुड़ तथा चीनी के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी गई, मूंगफली के तेल के निर्यात पर कुछ निर्बन्धन लगाए गए । नारियल के तेल तथा खोपरा को आयात करने के लिए कुछ सुविधाएं दी गई, ताड़ के तेल, खोपरा, चीनी तथा बिनौले के तेल पर आयात शुल्क घटा दिया गया, सस्ती दुकानें खोली गईं, एक बड़ी मात्रा में अनाज का प्रदाय किया गया और आयात किया गया गेहूं, जिस का प्रदाय केन्द्रीय सरकार ने किया, का मूल्य घटा दिया गया । इन उपायों के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ने नहीं पाईं, तथा अगस्त और दिसम्बर के दरम्यान कीमतें निरन्तर रूप से गिरती गईं । दिसम्बर के अन्त म सामान्य देशनांक अगस्त महीने के बीच के देशनांक से २० प्वाइंट कम था । उस समय से ज़रा सी वृद्धि हुई है परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि यह वृद्धि अस्थाई तथा सामायिक कारणों से नहीं हुई हो ।

१९५३ में एक विस्तृत क्षेत्र म उत्पादन में वृद्धि हुई है । कपड़े तथा सीमेंट के उत्पादन ने नया रिकार्ड कायम किया है । अन्य उद्योगों के उत्पादन में भी विशेष वृद्धि हुई है । औद्योगिक उत्पादन का सामान्य देशनांक जो कि १९५२ में १२८/७ था, १९५३ में बढ़ गया है । पहले नौ महीनों में इस का औसत १३३ से अधिक था । यद्यपि इस के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं, फिर भी हमारा विश्वास है कि जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, १९५३ सर्वोत्तम रहा है । यह प्राप्ति विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिये क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में कुछ विशेष कारणों से उत्पादन साधारण से कम रहा । एक

इस्पात संयंत्र में हड़ताल रहने के कारण लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है। १९५२ में इस का कुल उत्पादन ११ लाख टन था। इस वर्ष इस का अनुमान इस से कुछ कम लगाया जाता है। इसी तरह से हड़ताल के कारण ताम्बे के उत्पादन में छटे भाग की कमी हुई है। पटसन के बने माल का उत्पादन भी १९५२ के उत्पादन के मुकाबले में लगभग ८३,००० टन कम था क्योंकि १९५२ के कई महीनों में मिलें अधिक समय तक चलीं। चीनी का उत्पादन भी १९५२ के मुकाबले में लगभग दो लाख टन कम था, कारण यह है कि गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई थी और गन्ने के उत्पादन का एक अच्छा खासा हिस्सा गुड़ बनाने के काम लाया गया। परन्तु कुछ उद्योगों के उत्पादन में कमी होने के बावजूद भी १९५३ का औद्योगिक उत्पादन देशनांक १९५२ के मुकाबले में अधिक होगा; इस से इस बात का पता चलता है कि कितनी प्रगति हुई है।

किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि उद्योग कठिनाइयों से पूर्णतः मुक्त रहे हैं। पटसन उद्योग को अपनी निर्यात व्यवस्था यथावत् रखने की समस्या पेश आई तथा निर्यात शुल्कों में फेरबदल कर के इसे सहायता देनी पड़ी। कीमतें गिर जाने के कारण चाय उद्योग को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। और इस सम्बन्ध में इस उद्योग को भी सहायता दी गई। इस की स्थिति अब वर्ष के शुरू के महीनों से कुछ अच्छी है। मांग न होने के कारण रंग-रोगन उद्योग, शक्ति-चालित पम्प बनाने के उद्योग तथा एस्बस्टास सीमेंट चादरें तैयार करने के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। परन्तु १९५२ में जो आम शिकायत थी कि उद्योग एक गम्भीर मन्दी का सामना कर रहे हैं, वह अब अधिकांश रूप से नहीं रही है। फिर भी उन उद्योगों में जिन में कि प्रतियोगिता जोरों पर है, कार्य-क्षमता तथा मितव्ययिता बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।

१९५२ में खाद्य स्थिति में जो कुछ सुधार हुआ था वह पूर्ववत् बना रहा। उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होने के कारण अनाज की कीमतें कुछ घट गई हैं; एक मौके पर कुछ क्षेत्रों में यह चिन्ता प्रकट की जा रही थी कि कहीं देश के कुछ भागों में अनाज के मूल्य आर्थिक-स्तर से भी न गिर जायें। खाद्य स्थिति में सुधार होने के कारण अनेक दिशाओं म कंट्रोल ढीला करना सम्भव हो सका है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी जगह चने पर तथा अन्य मोटे अनाजों पर से पूर्णतः नियंत्रण हटाया गया है। गेहूं पर भी कंट्रोल कुछ ढीला कर दिया गया है। इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर ही अभी पाबन्दी है। १९५३ के अन्त पर हमारे पास लगभग १५ लाख टन अनाज का स्टाक था, इस में से लगभग ५ लाख टन केन्द्रीय संग्रहागार में हैं। अगली फसल भी सामान्यतः अच्छी है और यदि अगले वर्ष अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि न हुई तो खाद्य स्थिति को चिन्तारहित कहा जा सकता है। इस सुधरी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष के लिये आयात की मात्रा पूर्व वर्षों के मुकाबले में बहुत कम रखी गई है। इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जाने के परिणामस्वरूप देश की भुगतान-तुला की स्थिति भी सुधर जायगी।

१९५३ में पटसन को छोड़ कर बाकी सभी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन अच्छा रहा है। पटसन के उत्पादन में कुछ कमी हुई है, तथा इस का कारण कुछ तो मौसम की खराबी है और कुछ बोने के समय कीमतों का गिर जाना है। जहां देश की आर्थिक स्थिति निरन्तर रूप से सुधरती जा रही है, वहां हाल ही के इन महीनों में

[श्री सी० डी० देशमुख]

बेकारी की समस्या बढ़ गई है । नौकरी दिलाऊ केन्द्रों में दर्ज बेकारों की संख्या दिसम्बर, १९५३ में ५२२,००० तक बढ़ गई और मार्च, १९५३ में यह ४२५,००० रह गई। बेकारी की समस्या पर सदन में सविस्तार चर्चा हुई है। मैं ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि यह समस्या कितनी बड़ी है तथा सरकार ने इस के निवारण के लिए क्या कुछ कार्यवाही की है। मैं ने जो कुछ कहा है, उसे मैं दुहराना चाहता हूं अर्थात् इस समस्या पर उचित दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये । यह कोई अल्पकालिक समस्या नहीं जिस के लिए किसी अल्पकालिक उपचार की आवश्यकता हो । इस का कोई दीर्घकालिक उपाय होना चाहिये । आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ा कर ही उन लोगों को काम दिलाया जा सकता है जो स्कूलों तथा कालिज से प्रति वर्ष बड़ी संख्या में निकलते रहते हैं । इस का अर्थ यह है कि हमारा विकास कार्य बढ़ जाना चाहिये । इस काम में सार्वजनिक उद्योगों तथा गैर-सरकारी उद्योगों को अपना अपना हिस्सा लेना होगा । जहां तक सार्वजनिक (क्षेत्र) उद्योगों का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने हाल ही में इस स्थिति का सामना करने के लिए योजना में १७५ करोड़ रुपये की वृद्धि की है। नौकरियों के अवसर बढ़ाने के उपाय तो योजना का अविभाज्य अंग बने हैं; मेरा विचार है कि योजना की क्रमबद्ध कार्यान्विति में ही इस स्थिति को सुलझाने का मूल मंत्र निहित है ।

गैर सरकारी उद्योग कहां तक बेकारी दूर कर सकते हैं इस का मैं ने अभी उल्लेख किया है । उद्योगों का विस्तार होगा और नौकरियों के व्यापक अवसर प्रदान करने वाले नये उद्योग देश में खुलेंगे । इस प्रकार के विकास में सहायता करने की दृष्टि से नवीन उद्योगों में पूंजी के व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिये एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । जैसा मैं ने पिछले बुधवार को सदन में अपने वक्तव्य में बताया था उद्योगों के विस्तार के लिये देश के भीतरी तथा बाहरी गैरसरकारी हितों के सहयोग से एक और निगम को अस्तित्व प्रदान करने की संभावनाओं पर सरकार विचार कर रही है । यह चर्चाएं, जिन में पुनर्निर्माण तथा विकास कार्य का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक भी दिलचस्पी ले रहा है, अभी अपनी प्राथमिक अवस्था में है और सदन को यह बात माननी पड़ेगी कि मैं इन चर्चाओं के परिणाम के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से कहने में असमर्थ हूं ।

चालू वर्ष की समाप्ति पर देश के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति सन्तोषजनक है । सदन को स्मरण होगा कि वर्ष के आरम्भ में घाटे के तारतम्य के पश्चात् १९५२ के अन्तिम तीन महीनों में बाह्य लेखा में उत्साहजनक बचत हुई है । इस प्रवृत्ति ने वर्ष के अन्तिम भाग में उल्लेखनीय रूप धारण कर लिया । यह रक़म ३८ करोड़ रुपये हो गई जोकि पिछले तीनों महीनों की तुलना में १३ करोड़ रुपये अधिक थी । १९५३ के आरम्भ से बचत में ह्रास होने लगा और १९५३ की दूसरी तिमाही में इन बारह महीनों में पहली बार १० करोड़ रुपये का घाटा हुआ । पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही में हमारा हिसाब लगभग बराबर था और अन्तिम तिमाही में, जिस के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, थोड़ी बचत की संभावना है । दिसम्बर १९५२ के अन्त में रिजर्व बैंक के पास इस खाते में ७०६ करोड़ रुपये जमा थे जो १९५३ के अन्त में बढ़ कर ७२३ करोड़ रुपये तक पहुंच गये । व्यापार के स्तर में कमी कर के ही यह वृद्धि हो सकी

है । १९५३ के पहले ९ महीनों में ३७५ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ जो १९५२ की इसी अवधि के निर्यात से १२५ करोड़ रुपये कम है । परन्तु निर्यात की यह कमी आयात की कमी से पूरी हो गई; चुनाचि इस निर्यात से हमें यह ४३४ करोड़ रुपये मिले अर्थात् पिछले वर्ष इस से १७ करोड़ रुपये अधिक का निर्यात हुआ था ।

विदेशों में भारतीय माल की कीमत गिरने के फलस्वरूप निर्यात की कमी रही । इस का कारण माल के परिणाम में कमी नहीं कहा जा सकता । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समूचे क्षेत्र में हम क्रेता की स्थिति में हैं और देश के निर्यात व्यापार को विनियमित करते समय हमें मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर लगातार ध्यान रखना पड़ता है । निर्यात के वर्तमान परिमाण बनाये रखना और उसी स्तर पर विक्रय के लिये बाज़ार ढूंढना ही पर्याप्त नहीं है । इसी उद्देश्य से चालू वर्ष में कई निर्यात शुल्क हटाये गये और कई में कुछ रद्दोबदल किया गया । हेसियन, अलसी और अलसी के तेल पर निर्यात शुल्क हटाया गया तथा सूती कपड़े और जूट के कुछ सामान को निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया । इस का अच्छा प्रभाव पड़ा और पिछले कुछ महीनों में जूट, चाय और सूती कपड़े के निर्यात व्यापार में काफी सुधार दिखाई दिया । निर्यात को बढ़ाने के लिये एक विशेष संगठन स्थापित किया गया है ।

चालू वर्ष १९५३ में आयात की कमी का यही कारण है कि विदेशों से भारी परिमाण में गेहूं और रुई मंगाये गये हैं । खाद्य स्थिति में सुधार और देश में कपास के अधिक उत्पादन के कारण इन दोनों वस्तुओं के आयात में कमी रही । यद्यपि औद्योगिक उत्पादन उच्च स्तर पर रहा है, विदेशों से कच्चे माल के सम्भरण की मांग उच्चतर उत्पादन की मात्रा के अनुकूल नहीं है । स्वदेशी वस्तुओं का संभरण भी इस का एक आंशिक कारण है । लेकिन यह घबराहट उत्पन्न करने वाली स्थिति नहीं है ।

भुगतान सन्तुलन के सुधार की अपेक्षा डालर की स्थिति में पिछले वर्ष अधिक उल्लेखनीय सुधार हुआ था । १९५२ के प्रथम नौ महीनों में हमारे चालू खाते में १२७ करोड़ रुपये का घाटा था; १९५३ की समनुवर्ती अवधि में हमारे पास १८ करोड़ रुपये की बचत थी । इस का यही कारण है कि अमरीका से खरीदे गये कपास और खाद्यान्न की अदायगी छोटी छोटी रकमों में होती रही । १९५२ के उत्तरार्द्ध में पौंड क्षेत्र की स्वर्ण और डालर संचित निधि में भारत का अनुदान ७०० लाख डालर था, जबकि उस वर्ष के पूर्वार्द्ध में भारत ने १८८० लाख डालर वापस लिये थे । केन्द्र की संचित निधि से १९५३ के पूर्वार्ध में हमें १४० लाख डालर की छोटी सी रकम वापस लेनी पड़ी । १९५३ के उत्तरार्द्ध के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन प्रारम्भिक आंकड़े बताते हैं कि विगत नवम्बर को समाप्त होने वाले पांच महीनों में केन्द्र की संचित निधि को हम ने २२० लाख डालर का अनुदान दिया ।

देश के भुगतान-सन्तुलन के सुधार से पौंड क्षेत्र की स्थिति सुधरने में सहायता प्राप्त हुई है । गत मास सिडनी में राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन के विषय में मैं अभी विस्तृत बातें कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उस विषय पर सदन में मैं ने पहले ही पूर्ण वक्तव्य दे दिया है । सम्मेलन ने विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधियों को विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान का अवसर दिया है । यद्यपि प्रत्येक देश उसी नीति का अनुसरण करेगा जो उस की आवश्यकताओं के उपयुक्त

[श्री सी० डी० देशमुख]

होगी, फिर भी सम्मेलन में इस बात पर सामान्य सम्मति प्रकट की गई कि सभी देशों को दृढ़ आन्तरिक नीतियों पर चल कर उत्पादन में वृद्धि करते हुए विश्व व्यापार के विस्तार में सहयोग देना चाहिये ताकि पौंड तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं की बहु-पक्षीय परिवर्तनीयता संभव हो सके। जहां तक भारत का सम्बन्ध है मैं पुनः यही कहूंगा कि इन नीतियों के अनुसरण में नवीन नीति की ग्राह्यता अन्तर्ग्रस्त नहीं है। पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति का दृढ़तापूर्वक निश्चय करने पर ही हम अपनी तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के हितों की उत्कृष्ट सेवा कर सकते हैं।

बाह्य वित्त के विषय को छोड़ने से पहले मैं इस सम्बन्ध में कुछ और उल्लेखनीय बातें कहूंगा। जैसा सदन को मालूम है हम ने कतिपय विकास कार्यों के लिये पुनर्निर्माण तथा विकास कार्यों के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कुछ ऋण लिये हैं और सहायता के इस क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रश्न पर बराबर विचार किया जा रहा है। बैंक के उच्च पदाधिकारी इस देश की आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने और बैंक द्वारा नवीन योजनाओं में भविष्य में और पूंजी लगाने के प्रश्न पर यहां विचार करने आये थे। प्रतिनिधि-मंडल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन इसी बीच में ट्राम्बे में एक थरमल स्टेशन की स्थापना और कोयना बहुप्रयोजनीय योजना के एक भाग—जल-विद्युत उत्पादक यंत्र की स्थापना—के लिये बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर चर्चा जारी है।

भुगतान-सन्तुलन की संतोषजनक स्थिति देखते हुए हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से अपनी मुद्रा का एक भाग पुनः खरीदने का विचार कर रहे हैं जिसे हम ने १९४८ में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेच दिया था। १००० लाख डालर की कुल बकाया रकम में से हम ७२० लाख डालर पुनः खरीदने का विचार कर रहे हैं। इस में से लगभग ३६० लाख डालर का अंश आगामी मास में खरीदा जायगा और शेष भाग आने वाले वर्ष में। इस राशि को रुपये के रूप में पुनः खरीदने के परिणामस्वरूप हम ब्याज देने से बच जायेंगे।

सदन को ज्ञात है कि भारत को विकास योजनाओं के लिये बाहर के मित्र देशों से कितनी सहायता मिली है। यह सहायता कोलम्बो योजना के अन्तर्गत राष्ट्रमंडल के देशों, अमरीका की सरकार और वहां की कई गैर सरकारी संस्थाओं तथा नार्वे जैसे अन्य मित्र देशों से प्राप्त हुई हैं। चालू वर्ष में भारत-अमरीकी टैकनीकल कोआपरेशन क़रार द्वारा मानी हुई विकास परियोजनाओं पर खर्चे जाने के लिये ७ करोड़ ७१ लाख डालर दिये गये थे। केनाडा की सरकार ने और १ करोड़ ३६ लाख डालर देना स्वीकार किया है। ग्रामीण सुधार के लिये सहायता देने वाले फोर्ड प्रतिष्ठान ने समाज-शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराने के लिये हमें और दस लाख डालर दिये हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हम पड़ोसी देशों को भी सहायता दे रहे हैं। आशा की जाती है कि आगामी वर्ष के आय-व्यथक में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत तथा विदेशी मित्र देशों से बाह्य सहायता के रूप में हमें ४५ करोड़ रुपये मिले होंगे, जबकि अन्य देशों को इस प्रकार की सहायता देने में हम लगभग २ करोड़ रुपये व्यय करेंगे।

अब मैं चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्योरा और आगामी वर्ष के सम्बन्ध में अनुमान बताऊंगा।

सदन को ज्ञात होगा कि चालू वर्ष के आयव्ययक में ४३९·२६ करोड़ रुपये का राजस्व और ४३८·८१ करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया था, जिस में ४५ लाख रुपये की नाममात्र बचत रहती थी । इस आय-व्ययक को पूरा करते समय में ने यह हिसाब लगाया था कि पाकिस्तान से विभाजन-ऋण की अदायगी के हिसाब में उन से प्राप्य दो किस्तों में १८ करोड़ रुपये मिलेंगे । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच कितनी ही पेचीदा समस्यायें हैं, और विभाजन-ऋण का निपटारा तो इन समस्याओं में से ही एक है । हम इन सभी समस्याओं को सुलझाने और कोई निपटारा करने के प्रयत्न में लगे हैं, किन्तु अभी हम कुछ भी तय नहीं कर पाये हैं । इतना बताना चाहता हूं कि में इस विषय पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ चर्चा चलाता रहा हूं, और हम दोनों की यही आशा है कि आगामी वर्ष में ही ऋण की अदायगी संभव हो सकेगी । इसी एक कारण से चालू वर्ष के राजस्व आयव्ययक में १८ करोड़ रुपये की कमी हुई है और जहां ४५ लाख रुपये की बचत होती वहां १६·९६ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ।

अब स्थिति यह है कि इस वर्ष ४१३·६९ करोड़ रुपये का राजस्व होगा और ४३०·६५ करोड़ रुपये का व्यय—अर्थात्, जैसा मैं अभी बता भी चुका, १६·९६ करोड़ रुपये का घाटा होगा । राजस्व में २५·५७ करोड़ रुपय की जो कमी हुई है, इस में, जैसा मैं अभी कह चुका, पाकिस्तान से ऋण की किस्तों की अदायगी न होने के कारण १८ करोड़ रुपये की कमी भी शामिल है । आशा की जाती है कि आयव्ययक में दिखाई गई राशि की अपेक्षा बहिःशुल्क राजस्व में १० करोड़ रुपये की कमी होगी; इस का यही कारण है कि वर्ष भर में निर्यात शुल्क का—विशेषतया जूट पर जो भी निर्यात शुल्क होगा—पुनः समायोजन होगा, ताकि विश्व के बाज़ारों में हमारी स्थिति पहले जैसी अर्थात् विक्रेता की ही रहे । आशा की जाती है कि संघ के उत्पादन शुल्कों में लगभग ५० लाख रुपये की कमी होगी । यदि वास्तविक रूप से प्रगति होती रहे तो आय कर एव निगम कर से ६ करोड़ रुपये अधिक मिलने की आशा है, और इस ६ करोड़ रुपये की वृद्धि में से राज्य सरकारों को ३ करोड़ रुपये, आय-कर भाग के लेखा में देने पडेंगे । अन्य शीर्षों के अन्तर्गत जो भी आय होगी, वह आय-व्ययक के प्राक्कलनों के आंकड़ों से भिन्न नहीं होगी ।

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, पुनरीक्षित प्राक्कलनों में ८·१६ करोड़ रुपये की कमी दिखाई देती है । इस का यह हिसाब है कि राजस्व प्राप्त करने की लागत में १·५७ करोड़ रुपये की कमी हुई है, असैनिक प्रशासन में २·७ करोड़ रुपये की कमी हुई है, और असाधारण शुल्कों में ८·७३ करोड़ रुपये की कमी हुई है जिस का यह कारण है कि ऋण सेवाओं के अन्तर्गत १·६८ करोड़ रुपये का व्यय और "विविध" शीर्ष के अन्तर्गत ३·६४ करोड़ रुपये का व्यय राजस्व इकट्ठा करने की लागत में कमी होने का यही मुख्य कारण है कि अस्थायी आधार पर विगत वर्ष में कई अधिक अदायगियों के पुनः समायोजन के कारण संघ के उत्पादन शुल्कों के अंश की जो अदायगी राज्यों को की गई उस में ९४ लाख रुपये की बचत हुई है और उन के कुल करों के संचय में भी कमी हुई है । असैनिक प्रशासन के अन्तर्गत जो कमी हुई है वह कई शीर्षों की है जिन का ब्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है । आदिम जातीय क्षेत्रों में बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा एवं आर्थिक

[श्री सी० डी० देशमुख]

विकास के निमित्त जो उपबन्ध है उस में कमी होने के कारण बहुत सी बचत हुई है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो भी सुधारात्मक योजनायें थीं उन को कार्यान्वित करने में इतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी आशित थी। कई निधियों का हस्तान्तरण करने की जो व्यवस्था है उस में ९३ लाख रुपये की भी बचत हुई है और वास्तव में जो हस्तान्तरण हुआ है वह उस समय के आंकड़ों से कम है जिस समय आयव्ययक तैयार किया गया था क्योंकि इस से सम्बद्ध आवश्यक विधि को पारित करने में देर हुई थी। असाधारण शुल्कों के अन्तर्गत आयव्ययक में सामुदायिक विकास योजनाओं, स्थानीय निर्माणों, औद्योगिक आवास एवं 'अधिक अन्न उपजाओ' के लिये कुल १७.३७ करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है। इन मदों पर जो भी व्यय होगा वह अनुमानतः ८·७२ करोड़ रुपये होगा। सामुदायिक विकास योजनायें अब शुरू की जा रही हैं और इन पर जो व्यय हो रहा है वह प्रथम वर्ष के उन पर के अनुमानित व्यय से कम हुआ है। इसी प्रकार चूंकि बहुत से राज्यों में यहां तक कि प्रत्येक राज्य के बहुत से ज़िलों में ये योजनायें फैली हुई हैं और चूंकि स्थायी निर्माण-कार्यों पर स्थानीय या राज्य का अंशदान प्राप्त हो कर पूरी तरह से खर्चे जाने की व्यवस्था है अतः यह बात संभव नहीं हो सकी है। अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिये राज्यों को जो सहायता दी जाती है वह अंशतः अनुदानों के रूप में और अंशतः ऋणों के रूप में दी जाती है और वास्तविक वितरण तो उन्हीं योजनाओं के स्वरूप पर निर्भर करता है जो केन्द्रीय सहायता के लिये स्वीकृत हो चुकी हैं। वास्तविक प्रगति के आधार पर यह आशा की जाती है कि अनुदानों के रूप में जो भी व्यय होगा वह आयव्ययक में दिखाये गये व्यय से लगभग एक करोड़ रुपये कम होगा। आशा की जाती है कि औद्योगिक आवास पर जो राजकीय सहायता मिलेगी वह आयव्ययक में दिखाये गये आंकड़ों से लगभग २ ३/४ करोड़ रुपये कम होगी जिस का यही मुख्य कारण है कि औद्योगिक आवास के विस्तार में जहां अन्य बातें भी हैं वहां औद्योगिक नियोजकों के सहयोग और उन के द्वारा इस प्रकार की योजनाओं को शुरू करने की इच्छा का होना आवश्यक है। पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं उन के बावजूद भी इस प्रयोजन के लिये आयव्ययक में रखी गई रक़म खर्ची नहीं जा सकी है। संक्षिप्ततः असाधारण शुल्कों के उपबन्ध में जो कुल बचत हुई है वह विकास सम्बन्धी व्यय में कमी होने के कारण हुई है क्योंकि इन योजनाओं को चलाने में कई सहज कठिनाइयां हैं। ऋण सेवाओं के अन्तर्गत १·६८ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है वह राज हुण्डियों की कटौती दरों को कम करने के कारण हुई है और विविध के अन्तर्गत जो वृद्धि हुई है उस का यह कारण है कि त्रावनकोर-कोचीन को चूंकि उसे बाहर से बहुत कीमती चावल मंगाने पड़ते हैं खाद्यान्नों पर १·७७ करोड़ रुपये की राजकीय सहायता देनी पड़ी है, चुनाचि यह एक अप्रत्याशित व्यय हुआ है। इस के साथ ही खांड के मूल्य में कमी कराने के लिए नवम्बर १९५२ में लगाये गए विशेष उत्पादन शुल्क में से २·०६ करोड़ रुपये की जो राशि खांड के कारखानों को दी गई थी उस को भी बकाया राशि के रूप में जोड़ना पड़ा है।

आगामी वर्ष के लिये बनाये गये प्राक्कलन को बताने से पहले मैं चालू वर्ष में रक्षा सेवा पर होने वाले व्यय का उल्लेख करूंगा। आशा की जाती है कि जो कुल व्यय होगा वह आयव्ययक में दिये गये आंकड़े के आस-

पास ही होगा । कुल प्राक्कलन तो लगभग यही है किन्तु वायु सेना के व्यय में २·४६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो अन्य सेनाओं के व्यय में कमी होने के कारण पूरी की गई है । भाण्डारों की प्राप्ति के सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणी में परिवर्तन होने के कारण ये परिवर्तन हुए हैं ।

मेरा यह अनुमान है कि आगामी वर्ष में ४४१·०३ करोड़ रुपये का राजस्व और ४६७·०९ करोड़ रुपये का व्यय होगा यानी आयव्ययक के आयलेखा में २६·०६ करोड़ रुपये का घाटा होगा ।

चालू वर्ष में सीमाशुल्क से जो राजस्व प्राप्त हुआ है उस का पुनरीक्षित प्राक्कलन १६० करोड़ रुपये है और आगामी वर्ष के लिये हम ने यही आंकड़ा १७५ करोड़ रुपये तक का रखा है । इस प्रकार १५ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है उस के ये कारण हैं :— पहला सरकारी खाते की चीनी के अधिक आयातों पर अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने से अधिक आय होगी; इस वर्ष २·५ लाख टन चीनी का आयात हुआ है । अनुमान है कि आगामी वर्ष में ४ या ५ लाख टन चीनी का आयात होगा; दूसरे यह कि विदेश विनिमय यानी पौंड पावने की स्थिति कुछ ठीक होने से अधिक आयात शुल्क वाली वस्तुओं का अधिक आयात होगा और तीसरे यह कि राजस्व के साधारण परिमाण में विस्तार होगा । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से मिलने वाला राजस्व चालू वर्ष की अपेक्षा एक करोड़ कम रखा गया है । चीनी से भी चालू वर्ष की अपेक्षा ढाई करोड़ रुपये कम आय होगी क्योंकि चालू वर्ष की आय विशेष उत्पादन शुल्क से जो पिछले नवम्बर में हटा लिया गया था मिलने वाली धन राशि के कारण कुछ बढ़ गई थी; किन्तु तम्बाकू से होने वाली आय के आधार पर कुछ अंशों में लगभग एक करोड़ की और अन्य शुल्कों से लगभग आधा करोड़ रुपये की अंशतः पूर्ति हो जायगी । आयकर के अधीन चालू वर्ष के लिये मैं संशोधित प्राक्कलन दुहरा रहा हूं । मैं आशा करता हूं कि अतिरिक्त कर तथा अन्य करों की बकाया राशि में जो उत्तरोत्तर कमी हो रही है वह साधारण वसूली के द्वारा दूर हो जायगी । सम्पदा शुल्क जो अभी चालू हुआ है उस से प्राप्त होने वाला राजस्व आगामी वर्ष में पहली बार ही आयेगा । यह एक नया कर है इस से होने वाली आय का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है । कर निर्धारण करने वाली एवं कर एकत्रित करने वाली प्रशासकीय व्यवस्था विशेष रूप से तैयार की जा रही है और लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्ष में यह व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य करने लगेगी । इस शुल्क से कुल ४ करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान मैं ने लगाया है किन्तु संविधान के उपबन्धों के अनुसार यह लगभग पूर्णतः राज्य सरकारों को ही मिलेगा । मुद्रा तथा टकसाल के अधीन रक्षित बैंक की कुल आय में वृद्धि हो जाने के कारण जो मुद्रा तथा नोट जारी करने वाले विभाग के पास रखी हुई राज हुंडियां (ट्रेजरी बिलों) से होने वाली आय में हुई वृद्धि के फलस्वरूप हुई है इस चालू वर्ष के १२ १/२ करोड़ रुपये की अपेक्षा आगामी वर्ष में ५ करोड़ रुपये के अधिक लाभ की आशा है । इसी प्रकार पाकिस्तान से ९ करोड़ की एक किस्त मिलने की आशा से उसे भी आमदनी में जोड़ लिया है । जैसा कि मैं ने पहिले भी बताया था कि मुझ आशा है कि इस मामले का निपटारा निकट भविष्य में ही हो जायगा और मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्ष के प्रारम्भ होने के साथ ही साथ इन किस्तों की अदायगी भी प्रारम्भ हो जायगी ।

आगामी वर्ष में कुल ४६७·०९ करोड़ रुपया व्यय होगा जिस में से प्रतिरक्षा पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

२०५·६२ करोड़ रुपया तथा असैनिक मदों में २६१·४७ करोड़ रुपया व्यय होगा ।

आज की परिस्थिति में जितना सैनिक व्यय हो रहा है उस के लिये औचित्य देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । जैसा कि मैं ने पिछले वर्ष भी बताया था कि जब तक देश की सुरक्षा के लिये कोई भी भय शेष है तब तक सशस्त्र सेनाओं में कोई भी कमी करने का प्रश्न नहीं उठता । इस क्षेत्र के शक्ति-सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाली जो घटनायें हाल में हुई हैं उन के बावजूद भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं के विस्तार की कोई योजना शुरू नहीं कर रहा है । हम तो अपनी नौसेना तथा वायुसेना में जन तथा सामान के सम्बन्ध में समुचित कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से केवल अपने साधारण कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहे हैं और इस चालू वर्ष की अपेक्षा आगामी वर्ष में जो ६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है वह इसी साधारण कार्यक्रम के ही कारण है । जो घटनायें हाल में हुई हैं उन को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निरन्तर सतर्कता रखी जाय और किसी भी अवस्था में उस में ढील न आने पावे । मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं । फिर भी शस्त्रीकरण की होड़ में पड़ कर हमारा इरादा देश के उस आर्थिक विकास की गति को रोकने या बन्द करने का बिलकुल भी नहीं है जिस पर अन्ततोगत्वा देश की वास्तविक स्थिति निर्भर है ।

अगले वर्ष असैनिक व्यय चालू वर्ष की अपेक्षा २०·५ करोड़ रुपये अधिक होने की आशा है । विश्लेषणात्मक ज्ञापन में जिन बातों की व्याख्या की गई है उन में से प्रत्येक के बारे में विस्तृत लेखा दे कर मैं सदन को उबाना नहीं चाहता । मैं केवल उन्हीं मुख्य मुख्य बातों के बारे में कहूंगा जिन के कारण कि यह वृद्धि हुई है ।

आगामी वर्ष पंच वर्षीय योजना का चौथा वर्ष होगा अतः इस वर्ष में विकास कार्यों पर अधिक व्यय होने की प्रत्याशा करना स्वाभाविक है । असैनिक व्यय में ३०·५ करोड़ रुपये की वृद्धि अधिकांशतः इसी कारण है । उदाहरणतः राष्ट्रनिर्माण तथा विकास कार्यों पर चालू वर्ष के ३९·५२ करोड़ रुपये की अपेक्षा ५३.६७ करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है । विज्ञान सम्बन्धी विभागों पर होने वाला व्यय विशेषतः वैज्ञानिक संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों पर व्यय और वैज्ञानिक कार्यों पर पूंजी व्यय चालू बर्ष की अपेक्षा लग भग एक करोड़ रुपया अधिक होगा । देश में बुनयादी तथा सामाजिक शिक्षा के विकास के लिये शिक्षा पर ८ करोड़ रुपया अधिक व्यय होगा । चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यों पर लगभग १ १/४ करोड़ तथा कृषि और तत्संबंधी कार्यों पर लगभग २ करोड़ रुपये और अधिक व्यय होगा । ग्रामीण तथा छोटे छोटे उद्योगों के विकास के लिये भी व्यय में वृद्धि की गई है ताकि देश में सन्तुलित विकास हो सके । सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर चालू वर्ष से ८ १/२ करोड़ रुपया अधिक व्यय होगा । 'अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं' के लिये दिये जाने वाले अनुदानों के लिये एक करोड़ तथा समाज कल्याण के लिये लगभग १ १/४ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये जायेंगे । विकास कार्यों पर होने वाला यह बढ़ा हुआ व्यय कुल मिला कर लगभग २५ करोड़ रुपये हो जाता है जबकि कुल बढ़ा हुआ व्यय ३० १/२ करोड रुपये है ।

शेष व्यय का यह ५ १/२ करोड़ रुपया बढ़ा हुआ व्यय मुख्यतः दो कारणों से है। इस समय काश्मीर राज्य के भारत संघ के साथ वित्तीय एकीकरण की जो योजना विचाराधीन है उस के अन्तर्गत काश्मीर की संभावित सहायता के लिये एक मुश्त ३·६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा अनुमानित उत्पादन शुल्क के अंश के आधार पर चालू वर्ष की अपेक्षा ३/४ करोड रुपये अधिक होगा। अनुसूचित आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो धन सहायता-अनुदान के रूप में राज्यों को दिया जाता था उसे बढ़ाने का उपबन्ध किया गया है। व्यय में साधारण वृद्धि होने के फलस्वरूप इधर उधर सभी मदों में कुछ न कुछ वृद्धि तो हुई है किन्तु मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूं कि आगामी वर्ष के व्यय में जो वृद्धि हुई है वह स्वीकृत योजना के अनुसार विकासों पर ही अधिकतः हुई है।

नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के परामर्श से राजस्व तथा पूंजीगत आय-व्ययकों की मदों के वर्गीकरण में कुछ परिवर्तन किया गया है जिस की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं। राजस्व तथा पूंजी के बीच व्यय का नियतन करना सदैव ही कठिनाई का विषय रहा है और विशेष रूप से यह कठिनाई उस समय और भी बढ़ जाती है जब यह नियतन उस बहुत बड़े विकास कार्यक्रम को ध्यान में रख कर किया जाता है जोकि आजकल क्रियान्वित हो रहा है और जिस में समूचे राष्ट्र के साधन निहित हैं। यह सच है कि सामान्यतः इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि चालू व्यय प्रशासकीय व्यय के रूप में और ऐसे व्यय के रूप में जिस के परिणामस्वरूप स्पष्ट आस्तियां न बनती हों को चालू राजस्व में से पूरा किया जाय परन्तु ऐसे व्यय के मामले में एक अपवाद करना होगा जोकि व्यापक राष्ट्रीय हित में अर्जित किये जा सकने वाले राजस्व की राशि के अनुसार उचित गति से अधिक तेज़ी के साथ किया जाता है या जो ऐसा व्यय है जोकि यद्यपि प्रवधिक रूप से सरकार के लिये जो धन व्यय करती है कोई स्पष्ट आस्तियां नहीं बनाता फिर भी उस के परिणामस्वरूप समुदाय अथवा अन्य सरकारों के लिए ऐसी आस्तियां बन जाती हैं। सदन को यह ध्यान होगा कि १९५१-५२ के आयव्ययक में पूंजी से कुछ प्रकार के अनुदान राजस्व की ओर इस आधार पर स्थानान्तरित किये थे कि इन अनुदानों के भुगतान करने पर केन्द्रीय सरकार के लिये कोई टिकाऊ आस्तियां नहीं पैदा होतीं। मेरा विश्वास है कि यह परिवर्तन अब भी महत्वपूर्ण है किन्तु यदि इसे तर्कयुक्त परिणाम के अनुसार देखा जाए तो राजस्व के मामले में उस समय कठिनाई हो सकती है जबकि योजना के अनुसार राज्य सरकारों को काफ़ी मात्रा में केन्द्रीय सहायता दे और कुछ दूसरों को उस कार्य के लिये अनुदान दें जोकि केन्द्रीय सहायता कार्य के विषय होते उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार को व्यय की यह पूर्ति उधार लेकर पूरी करनी होगी। गाडगिल समिति के प्रतिवेदन के अधीन मेरे विचार से तीन प्रकार के अनुदान हैं उदाहरणतः औद्योगिक मकानों के लिये अनुदान, स्थानीय कार्यों के लिये अनुदान तथा राज्य सरकारों के लिये अनुदान जिस ने कि सौराष्ट्र, मध्य भारत, राजस्थान तथा पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ से हुए विलय समझौते की उस शर्त को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अभी हाल में जांच की थी जिस में कहा गया था कि उन की पिछली दशा को दूर करने के प्रश्न को विशेष जांच का विषय बनाया जाय।

पहला पूंजीगत अंशदान है जिस से कि एक आस्ति बन जाती है और जिसे यदि

[श्री सी० डी० देशमुख]

केन्द्रीय सरकार अपने प्रयोजन के लिये घर बना रही होती तो ऋण ले कर पूरा किया जाता । दूसरा अधिकांशतया स्थानी क्षेत्रों में सड़कों तथा भवनों इत्यादि के निर्माण के लिये है और यह भी समुदाय की स्थायी आस्ति बन जाता है । तीसरा इस योजना के अन्तर्गत इन राज्यों को सहायता के रूप में दिये गये ऋण के कुछ अंश को केवल कुछ प्रशासन सम्बन्धी भवनों के निर्माण के लिये अनुदानों तथा अतिरिक्त अनुदानों के रूप में बदल दिया गया है । इन तीनों मामलों के सम्बन्ध में मुझे यह विश्वास हो गया है कि पूंजी से व्यय को पूरा करना उचित है । परन्तु क्योंकि इस व्यय से केन्द्र के लिये कोई स्थायी आस्ति नहीं बनती अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसे पन्द्रह वर्षों में राजस्व व्यय में से निकाला जाय जिस से कि अन्ततोगत्वा यह सारा व्यय राजस्व से पूरा हो सके । इस प्रस्ताव से राजस्व के आय-व्ययक में कुछ स्थिरता आ जायगी और इस के साथ ही इस समय उपलब्ध राजस्व के थोड़े से साधनों के कारण विकास सम्बन्धी योजनाओं में पूंजी विनियोग नहीं रुके जायगा । उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार आगामी वर्ष पूंजीगत आयव्ययक में १६ करोड़ रुपये डाल दिये जावेंगे । आगामी वर्षों में इस प्रकार के अन्य व्यय भी हो सकते हैं और इस का निश्चय समय समय पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की सलाह से किया जायेगा कि इसे आरम्भ में राजस्व व्यय में डाल दिया जाये या पूंजीगत व्यय में ।

माननीय सदस्य पश्चिमी पाकिस्तान में हुई अचल सम्पत्ति की हानि के लिये प्रतिकर की अन्तर्कालीन योजना को जानते हैं जोकि गत नवम्बर म विस्थापित व्यक्तियों के कतिपय वर्गों के लिये मंजूर की गई थी । इस योजना में जिन्स में जैसे कि घरों के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण और शेष पुनर्वास ऋण का समायोजन कुछ राशि का नकदी के रूप में भुगतान भी सम्मिलित है । भुगतान की इस राशि के काफी बड़ी होने की सम्भावना है और नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से इन भुगतानों को आरम्भ में पूंजीगत व्यय में और बाद में आगामी पन्द्रह वर्षों में राजस्व-व्यय में डालने का निश्चय किया गया है । मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन भुगतानों को सीधा राजस्व-व्यय में डाल देने से राजस्व आय-व्ययक पर बहुत बोझ पड़ेगा और इस बोझ को हल्का करने के लिये इसे कई वर्षों में बांट देना बिल्कुल उचित है ।

चालू वर्ष के आय-व्ययक में पूंजी विनियोग पर ७६·६४ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है । अब मुझे यह आशा है कि ६३·९ करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा । १३ करोड़ रुपये की यह बड़ी बचत मुख्यतया तीन मदों में होगी । रक्षा व्यय में मुख्यतया कुछ निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति के कारण और कुछ संयंत्रों तथा यंत्रों के न पहुंचने के कारण ४ १/४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक की बचत होगी । असैनिक निर्माण कार्यों पर भी लगभग ४ करोड़ रुपये की बचत होगी, यह भी इस वर्ष निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति के कारण हुई है । सरकारी व्यापार की योजनाओं का लेखा जिस के कारण आय-व्ययक में ३ १/२ करोड़ रुपये के शुद्ध पूंजी विनियोग की आशा थी अब बराबर होने की सम्भावना है । इन तीनों मदों से कुल मिला कर ११.९ करोड़ रुपये की बचत होगी अन्य मदों में तुलनात्मक दृष्टि से कम बचत होगी और इस बचत का कुछ अंश दामोदर घाटी निगम के अधिक व्यय में लग जायेगा जिस में कि काफी तेज़ी से प्रगति हुई ।

आगामी वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिये कुल १४५·७५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों में बहुत अधिक वृद्धि से बढ़ते हुए विकास व्यय का पता लगता है जिस का कि मैं अपने भाषण में पहले उल्लेख कर चुका हूं । योजना के प्रथम तीन वर्षों में उस अवधि के पूंजी विनियोग के अनुपात से विकास व्यय कछ कम हुआ था । इस का कुछ कारण नई योजनाओं के आरम्भिक कार्य में कुछ समय लग जाना था । इस का कुछ कारण यह भी था कि योजना के आरंभिक वर्षों में सरकार बड़ी सावधानी से खर्च कर रही थी जिस से कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जा सके । अब क्योंकि आर्थिक स्थिति पूंजी विनियोग के लिये उपयुक्त हो गई है और योजनाओं पर भी जोरों से कार्य हो रहा है और कुछ तो लगभग पूरी होने वाली हैं अतः अन्तिम दो वर्षों में चालू वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक व्यय होना अनिवार्य है ।

आयव्ययक के वर्ष के उपबन्धों में जिन कारणों से वृद्धि हुई है उन में से कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों का मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा । इन प्राक्कलनों में राज्यों को विकास के लिए दिये जाने वाले अनुदानों के लिये १६ करोड़ रुपये का उपबन्ध भी सम्मिलित है जोकि पन्द्रह वर्षों में थोड़ा थोड़ा कर के राजस्व व्यय में डाल दिया जायेगा । विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये भी ४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है इसे भी इसी प्रकार राजस्व व्यय में डाल दिया जायेगा । रेलवे के लिये भी आंशिक रूप से अत्यावश्यक कामों को जिन के लिये हम वचनबद्ध हैं पूरा करने के लिये और आंशिक रूप से उस आय में कमी को पूरा करने के लिये जोकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास के लिये स्वयं रेलवे द्वारा ही दी जाने की आशा थी और १६ करोड़ रुपया का उपबन्ध किया गया है । डाक तथा तार पर चालू वर्ष की अपेक्षा लगभग ४ करोड़ रुपये अधिक व्यय होंगे । बड़े बड़े पत्तनों में कांडला के पत्तन और उस के निकटवर्ती नगर गांधी धाम के विकास पर लगभग २ १/२ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये जायेंगे । नई दिल्ली में निवास तथा कार्यालय के भवनों को बढ़ाने के लिये जहां स्थान की समस्या अब भी बहुत कठिन है लगभग ४ ३/४ करोड़ रुपये का और उपबन्ध किया गया है । आगामी वर्ष सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर इस वर्ष के ८ १/२ करोड़ रुपय की तुलना में १३ १/४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय होगा । दिल्ली से बाहर स्थित सरकारी विभागों के लिये जिस में निवास और कार्यालय दोनों के लिये स्थान सम्मिलित है सामान्य भवन निर्माण के कार्यक्रम पर इस वर्ष के २ १/२ करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वर्ष ८ करोड़ रुपये व्यय होंगे । पुनर्वास कार्यों पर भी ७५ लाख रुपये और अतिरिक्त व्यय होंगे । नये इस्पात संयंत्र पर जिसे कि सरकार एक जर्मन समवाय के साथ मिल कर लगा रही है सम्भावित पूंजी विनियोग के लिये १० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । आगामी वर्ष रक्षा पर पूंजी विनियोग १७ ३/४ करोड़ रुपये होगा, यह चालू वर्ष से लगभग ७ १/२ करोड़ रुपये अधिक है और इस में सामान्य पुनर्गठन के कार्यक्रम के लिये व्यवस्था है तथा चालू वर्ष का गत शेष भी सम्मिलित है ।

उपरोक्त पूंजी विनियोग के उपबन्ध के अतिरिक्त प्राक्कलनों में राज्य सरकारों को अधिकांशतया उन की विकास परियोजनाओं के लिये इस वर्ष ऋण के रूप में दिये जाने वाले १६० करोड़ रुपये और आगामी वर्ष के २१४ करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

माननीय सदस्यों को सम्भवतः इस बात पर आश्चर्य हो रहा होगा कि राजस्व सम्बन्धी तथा पूंजीगत आय-व्ययकों दोनों में ही विकास के लिये जो बढ़ी हुई राशियों का उपबन्ध किया गया है, गत दो वर्षों में विकास व्यय के उपबन्ध में से जो भारी बचत हुई है और चालू वर्ष में जो बचत होने का अनुमान है उसे ध्यान में रखते हुए क्या ये सब राशियां पूर्ण रूप से खर्च भी हो जायेंगी । इन व्यय-गत राशियों से विकास योजनाओं की प्रगति के मन्द होने के जो कारण प्रतीत होते हैं वे सरकार के लिये चिन्ता का विषय हैं । हम ने एक वरिष्ठ पदाधिकारी को विकास योजनाओं के निर्माण, उन की मंजूरी और उन को क्रियान्वित करने की वर्तमान प्रक्रिया की शीघ्रता से परीक्षा कर के वर्तमान असंतोष-जनक स्थिति के कारणों के सम्बन्ध में प्रति-वेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है । सरकार पंचवर्षीय योजना को उस योजना में नियत अवधि में क्रियान्वित करने का बहुत अधिक महत्व देती है और हमारा विकास योजनाओं की प्रगति में से प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिये सभी सम्भव उपाय करने का इरादा है । मुझे आशा है कि इस जांच के परिणाम के सम्बन्ध में शीघ्र ही निश्चय किये जा सकेंगे और मुझे यह विश्वास है कि आगामी वर्ष के आय-व्ययक में जिस बढ़ी हुई राशि का उपबन्ध किया गया है उसे खर्च किया जा सकेगा । यदि योजना में निश्चित लक्ष्यों को पूरा करना है तो इस प्रकार की वृद्धि नितान्त आवश्यक है और सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी है ।

सदन योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन करने के हाल के निश्चय को जानता है । इस योजना में जैसी कि यह गत वर्ष बनाई गई थी कुल २,०६९ करोड़ रुपये के विनियोग की व्यवस्था थी । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप इस राशि में लगभग १७५ करोड़ रुपये के बढ़ जाने की सम्भावना है जिस का कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं । प्रथम तीन वर्षों में राज्य तथा केन्द्र दोनों का मिला कर लगभग १,००० करोड़ रुपये व्यय होगा । इस से कुछ करोड़ कम ही होगा अधिक नहीं । इस से आगामी दो वर्षों में व्यय करने के लिये लगभग १,२०० करोड़ रुपये रह जायेंगे जिस में से अधिकांश भाग सीधे व्यय के रूप में या राज्य सरकारों को सहायता के रूप में केन्द्रीय आय-व्ययक से देना पड़ेगा । इन बातों को देखते हुए आगामी वर्ष के आय-व्ययक सम्बन्धी उपबन्धों में पर्याप्त वृद्धि होना अनिवार्य है और सरकार इस बात के लिये कोई कसर उठा न रखेगी कि योजना में विकास का जो कार्यक्रम बनाया गया है और जिस के लिये आय-व्ययक में उपबन्ध किया गया है उसे आगे बढ़ाया जाये ।

चालू वर्ष के आय-व्ययक में १३८ करोड़ रुपये के कुल घाटे की व्यवस्था की गई थी, जिस में से २८ करोड़ रुपये की कमी रोकड़ बाकी से तथा शेष ११० करोड़ रुपये की कमी चालू ऋण की राशि में विस्तार कर के, पूरी करने का अनुमान किया गया था । संशोधित अनुमान के आधार पर कुल घाटा १२८ करोड़ रुपया होगा । वर्ष के आरम्भ में जितनी बाकी बचने वाली धन राशि की मैं आशा करता था उस से वह धन राशि १९ करोड़ रुपया अधिक थी । इस धन राशि के इस प्रकार बढ़ जाने का कारण यह था कि खर्चे की विभिन्न मदों के लिये जितने रुपये की व्यवस्था की गई थी उतना रुपया खर्च नहीं हो पाया । इस वर्ष बाजार से केवल ७५ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ जब कि आय-व्ययक में

१.०० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था, परन्तु चूंकि ऋणों के नक़द भुगतान ४० करोड़ रुपये कम करने पड़े इसलिये न केवल यह कमी पूरी हो गई वरन् कुछ और धन भी बच रहा। यह लाभ इस प्रकार हुआ, कि, ऋणों की अवधि पूरी होने पर ११६ करोड़ रुपये का नक़द भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा अनुमान किया जाता था। जब कि केवल ७६ करोड़ रुपये का ही नक़द भुगतान करना पड़ा। साल भर में छोटी बचत से जो आय प्राप्त हुई है वह कोई आशाजनक नहीं है : हो सकता है कि इस प्रकार होने वाली आय ४० करोड़ रुपये से अधिक न हो जब कि आय-व्ययक में ४५ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। छोटी बचत से आने वाले रुपये में जो कमी हुई है उस का एक कारण यह भी है कि कुछ राज्य सरकारों ने, अपने निजी लोक ऋणों के लिये, बचत के रुपये से लाभ उठाने का जोरदार प्रयत्न किया है। परन्तु केवल इतनी बात ही से किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक राज्य अतिरिक्त आय श्रोतों से लाभ उठाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, उन को केन्द्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परन्तु आगे चलकर बचत आन्दोलन का विकास करना आवश्यक होगा, जिस से कि छोटी बचत का प्रवाह बराबर जारी रहे और बढ़ता रहे। जैसा सदन को ज्ञात है, सरकार, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बराबर प्रयत्नशील है। अधिकृत एजेन्टों की प्रणाली, जो तीन चुने हुए राज्यों में फिर से लागू की गई थी, उस को हाल में सब राज्यों में लागू करने के प्रयत्न किये गये हैं। हम अधिकृत एजेंटों के रूप में, ग्राम पंचायतों का भी प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इस में सफलता मिली तो सारे राज्यों में ऐसा ही किया जायेगा। मैं ने गत वर्ष बताया था कि सरकार इस बात के भी उपाय कर रही है कि स्वयंसेवकों के सामाजिक संगठन तथा महिला संगठन, इस आन्दोलन में, दिलचस्पी लिया करें। गत वर्ष आयोजित 'महिला बचत सप्ताह' के परिणाम बहुत ही आशाजनक थे। एक 'महिला बचत आन्दोलन' नियमित रूप में आरम्भ कर दिया गया है। इस आन्दोलन का संगठन तथा नेतृत्व करने के लिये, 'एक केन्द्रीय मन्त्रणा समिति' नियुक्त की गई है तथा बचत का संग्रह करने के लिये बहुत सी चुनी हुई स्वयंसेवक संस्थाओं को अधिकृत एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इन उपायों का क्या परिणाम हुआ है इस के पता लगने में अभी पर्याप्त समय लगेगा परन्तु मुझे विश्वास है कि इन के परिणाम स्वरूप आन्दोलन का विकास बहुत अधिक होगा। सारे आ। -व्ययक पर विचार करने के बाद मुझे आशा होती है कि वर्ष समाप्त होने पर वर्ष के अन्त की बाक़ी धनराशि ५० करोड़ रुपया हो इस के लिये ८० करोड़ रुपये से अधिक के ट्रेज़री बिलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कि मूल आय-व्ययक में ११० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था।

अनुमान किया जाता है कि आगामी वर्ष का कुल घाटा २५० करोड़ रुपया होगा। इस का कारण यह है कि राजस्व तथा पूंजीगत दोनों आयव्ययकों में विकास योजनाओं के लिये अधिक धन की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष में १९५४ का २ १/४ प्रतिशत का ३५ करोड़ रुपये का ऋण लौटाने के लिये देय हो जायेगा। सरकार को अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो इस के स्थान पर १९५४–५९ का ३ १/२ प्रतिशत के ऋण का भुगतान करे जिस में केवल १३ करोड़ रुपये का ही भुगतान करना है। अनुमान किया जाता है कि यह दोनों ही ऋण चुका दिये जायेंगे। बाज़ार से ७५ करोड़ रुपये के ऋण लेने की व्यवस्था की जा रही है। आगामी वर्ष, छोटी बचतों से, ४५ करोड़ रुपया प्राप्त हो सकता है। ऋण तथा उस के भुगतान की मद को तथा विदेशी

[श्री सी० डी० देशमुख]

सहायता की प्राप्ति इत्यादि, सब को मिला कर, आयव्ययक को संतुलित बनाने के लिये, ट्रेज़री बिलों में २५० करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी ।

वित्त प्राप्ति के उपायों तथा साधनों की समस्या पर विचार करने का एक और ढंग भी है । सरकार को २६ करोड़ रुपये का राजस्व घाटा पूरा करने के लिये ३९५ करोड़ रुपये पूंजीगत योजनाओं को पूरा करने तथा राज्यों और स्थानीय संस्थाओं की विकास योजनाओं के लिये सहायता देने के लिय, ५३ करोड़ रुपये कर्ज़ के भुगतान के लिये, जुटाना होगा। इस के लिये बाज़ार से ७५ करोड़ रुपया प्राप्त करने की आशा की जाती है । विदेशी सहायता तथा डालर ऋण से ४८ करोड़ रुपया तथा छोटी बचत से ४५ करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा की जाती है । फुटकर कर्ज़ों इत्यादि से ५६ करोड़ रुपया प्राप्त हो जायेगा । फिर भी आयव्ययक का संतुलन करने के लिये २५० करोड़ रुपये की कमी रह जायेगी । चूंकि रोकड़ बाक़ी से केवल आवश्यक हस्तस्थ राशि का ही प्रबंध किया जा सकता है तथा इसे, और अधिक बढ़ाना, संभव नहीं है इसलिये यह सारी कमी केवल ट्रेज़री बिलों के द्वारा ही पूरी की जा सकती है । कितने रुपये के ट्रेज़री बिल जारी करने पड़ेंगे यह तो इस पर निर्भर करेगा कि साल भर में परिस्थितियों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परन्तु आयव्ययक तय्यार करने के लिये मैं ने अनुमान लगाया है कि यह धन राशि २५० करोड़ रुपया होगी ।

मैं आशा करता हूं कि इस सदन में तथा सदन के बाहर, घाटे की वित्तव्यवस्था का इतनी बड़ी सीमा तक सहारा लेने की बुद्धिमत्ता पर सन्देह प्रकट करने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी होगी । मैं ने इस प्रश्न पर बहुत ही गूढ़ता के साथ विचार किया है । सब बातों पर ध्यान देने के बाद मुझे विश्वास हो चुका है कि जैसी परिस्थिति इस समय है तथा भविष्य में होने वाली है उस को देखते हुए हम जो कुछ कर रहे हैं उस में कोई असाधारण जोखम नहीं है । वास्तव में, वर्तमान परिस्थितियों में किसी हद तक घाटे की वित्तव्यवस्था आवश्यक है । मुद्रास्फीति का समय तो कभी का बीत चुका है। तथा अनेक दिशाओं में उत्पादन बढ़ रहा है । हम चाहते हैं कि उत्पादन में और वृद्धि हो । इस बढ़ते हुए उत्पादन के लिये जनता के पास जितनी मुद्रा है उस में वृद्धि करना आवश्यक है ।

आय-व्ययक के घाटे के आर्थिक प्रभाव का अंदाजा लगाने के लिये यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस का कुछ भाग भुगतान संतुलन में पड़ने वाली कमी से पूरा हो सकता है । जैसा मैं पहले बता चुका हूं कुछ समय से हम पौंड पावना का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं । यह इस बात का द्योतक है कि देश के आर्थिक क्रिया कलाप का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि वैदेशिक आय श्रोतों के लिये कोई भारी मांग पैदा हो । इस का अर्थ है कि अभी हमारे विकास का स्तर सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंचा है । किसी देश का भुगतान संतुलन बहुत सी ऐसी बातों पर निर्भर करता है जो कि अनिश्चित हैं तथा जिन के सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है । इसलिये सदा ही सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है । फिर भी जब अपने देश में भावों की स्थिति काबू में है तथा देश में ऐसी रक्षित निधियां हैं जिन का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है तो विकास कार्यों के लिये घाटे की वित्त व्यवस्था करने में कोई ख़तरा नहीं है । बात तो यहां तक है कि अर्थ प्रणाली के अप्रयुक्त आय श्रोतों का उपभोग करने के लिए, यदि सावधानी बरती जाय तो घाटे की वित्त व्यवस्था से निश्चित लाभ हो सकता है । इन बातों पर

ध्यान दे कर तथा अनेक दिशाओं में बढ़ती हुई बेकारी का विचार कर के, योजना के विस्तार करने का निर्णय किया गया था तथा उसी निर्णय के अनुसार आगामी वर्ष का आय-व्ययक तय्यार किया गया है। देश के खाद्य उत्पादन का स्तर संतोषजनक है विदेशों से होने वाले आयात में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा की जाती है। इन सब बातों पर विचार कर के मैं आशा करता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर, आयव्ययक का घाटा, मुद्रा स्फीति उत्पन्न करने की बजाय, संस्फीतिकारी सिद्ध होगा। यदि आर्थिक स्थिति तथा वातावरण में भारी परिवर्तन होते हैं तो यह स्पष्ट है कि, सरकारी नीतियों पर फिर से विचार करना होगा। परन्तु अभी, अपनी विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए, मेरा कहना है कि, हमारे लिये महत्वपूर्ण बात केवल चादर को देख कर पैर पसारना ही नहीं है वरन् चादर को भी पूरा पसारना है।

इस वर्ष की तथा आगामी वर्ष, घाटे की वित्त व्यवस्था से जो धन प्राप्त होगा उस का बहुत बड़ा भाग तो उस सहायता के देने में ही खर्च हो जायेगा जो केन्द्र द्वारा राज्यों को उन की विकास योजनाओं के लिये दी जाती हैं। गत तीन वर्षों का अनुभव है कि विकास योजनाओं की पूर्ति तो लगभग योजना के अनुसार ही हो रही है, परन्तु अपने आय श्रोत बढ़ाने में राज्यों ने उसी तत्परता से काम नहीं लिया है जैसा कि योजना में अनुमान किया गया था। एक ओर जो सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली है उस में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर इसमें ८० करोड़ रुपये की उस धन राशि की कोई गणना नहीं की गई है जो, वित्त आयोग के निर्णय ने, केन्द्र से राज्यों को दिला दिया है। मैं एक क्षण के लिये भी यह नहीं कहना चाहता कि राज्यों का विकास करना केन्द्र का कार्य नहीं है परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि राज्यों ने योजना का भार संभालने में अभी तक जितना कुछ किया है उस से कहीं अधिक करने की जरूरत है। इस प्रकार आय श्रोत बढ़ाने पर उस धनराशि में कमी हो जायेगी जिस के लिये केन्द्र को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय विकास केवल सरकारों का ही उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे जैसे लोकतंत्र में यह जनता का भी कर्तव्य है और अब जब कि हमें घाटे की अर्थव्यवस्था का पर्याप्त आश्रय लेना पड़ रहा है, मेरा जनता से प्रबल अनुरोध है कि अधिक धन बचा कर सरकार को उधार दे। लघु बचत योजना में जनता को अधिक सहयोग देना चाहिये। इस वर्ष इस योजना से निराशात्मक परिणाम निकले हैं। यदि राष्ट्रीय विकास का कार्य लम्बे समय तक चलाना है तो इस योजना को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त होना चाहिये। विकास के लिये त्याग अनिवार्य है और लोकतंत्रात्मक आयोजन में त्याग सब को करना चाहिये और स्वेच्छा से करना चाहिये। पूंजी में अभि-वृद्धि करने के लिये, जो सर्वसम्मत उद्देश्य है, माल की खपत सीमा में रहनी चाहिये और बेकार जनशक्ति के उपयोग द्वारा उत्पादन की सम्भावित क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये। इस के लिये कठोरतर परिश्रम आवश्यक है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में हम ने काफी सफलता प्राप्त की है परन्तु अब और भी अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है। मुझे भरोसा है कि इस में राष्ट्र के सभी अंग सहयोग देंगे और भरसक प्रयत्न करेंगे।

अब मैं आगामी वर्षों के आयव्ययक सम्बन्धी कर-प्रस्तावों को लेता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आगामी वर्ष में सारवान घाटे को देखते हुए मैं ने खर्च सम्बन्धी बजट में घाटे को

[श्री सी० डी० देशमुख]

पूरा करने की परम्परागत प्रणाली का आश्रय नहीं लिया है, अपितु खर्च सम्बन्धी बजट के घाटे को, जो विकास-व्यय के कारण है, यथा-साध्य अतिरिक्त आय द्वारा पूरा करने का दृष्टिकोण अपनाया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी घाटे की अर्थव्यवस्था के लिये उपयुक्त है, परन्तु इस साधन से प्राप्त आय की राशि यथासंभव कम ही होनी चाहिये जिस से कि यह राशि प्राप्य साधनों और विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं के बीच के अनिवार्य अन्तर को पाटने के लिये ही हो और साधनों की ऐसी कमी को पूरा करने के लिये न हो जो अन्यथा चालू स्रोतों से पूरी की जा सकती थी।

इस समय कराधान जांच समिति काम कर रही है अतः करों के वर्तमान ढांचे में कोई आमूल चूल परिवर्तन करना न उचित ही है और न अभीष्ट ही है, जब तक कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार समूची समस्या पर विचार न कर लिया जाये। ये सिफारिशें चालू वर्ष के अन्त तक आ जायेंगी ऐसी आशा है। अतः मैं ने जो परिवर्तन प्रस्थापित किये हैं वे कुछ सीमित क्षेत्र में ही सन्निहित हैं।

सर्वप्रथम मैं सीमाशुल्कों को लेता हूं।

मेरी पहली प्रस्थापना यह है कि सुपारी पर अधिमान सम्बन्धी आयात शुल्क को साढ़े छै आने प्रति पाउंड के हिसाब से बढ़ा दिया जाये। सुपारी पर कुछ समय से अत्यधिक लाभ कमाया जा रहा है जिस के कारण आयात-अनुज्ञप्तियों को ऊंचे दामों पर खरीदा बेचा जाता है। आयातकों और बिचौलियों के लिये इतना लाभ प्राप्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है और मुझे विश्वास है कि सदन इस बात की सराहना करेगा कि मैं इस लाभ का एक अंश राजकोष के लिये लेना चाहता हूं। मेरे विचार में इस से सुपारी की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भावों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी। इस स्रोत से अनुमानतः तीन करोड़ की अतिरिक्त आय होगी।

चालू वर्ष के आय-व्ययक में, आयात शुल्कों में कुछ परिवर्तन किये गये थे। ये परिवर्तन इन शुल्कों में सामान्य समायोजन के अंग हैं। सीमा शुल्क बहुत से पदार्थों पर लगाये जाते हैं और इन शुल्कों के स्तर और प्रभाव पर निरन्तर विचार किया जाता रहता है जिस से कि समायोजन समय समय पर किया जा सके। वार्षिक आय-व्ययक इन परिवर्तनों के करने के लिये सब से उपयुक्त अवसर है यद्यपि वर्ष के दौरान में भी वार्षिक वित्त विधेयक की प्रतीक्षा किये बिना लोकहित में ऐसे परिवर्तन करना वांछित हो सकता है। इस नीति के अनुसार मैं आयात प्रशुल्क में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। प्लास्टिक और रबड़ चढ़े हुए तारों, बिजली के पंखों और बिजली के नलों आदि पदार्थों पर शुल्क बढ़ाये जा रहे हैं। व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार में निश्चित अवधि समाप्त होने पर अब संयुक्त राजतंत्र ब्रिटेन से आयात की जाने वाली मोटर कारों, मोटर कारों के पुर्जों और बैटरियों पर जो अधिमान दिया गया था वह समाप्त किया जा रहा है। इन परिवर्तनों का और कुछ अन्य छोटे छोटे परिवर्तनों का प्रभाव यह होगा कि राजस्व में सवा करोड़ रुपये की नक़द बढ़ोतरी होगी।

मैं तीसरा परिवर्तन यह प्रस्थापित करना चाहता हूं कि कपास पर से वर्तमान आयात शुल्क हटा दिया जाये। आयातित कपास का प्रयोग केवल आंतरिक खपत वाले वस्त्र में ही नहीं होता अपितु भारतीय वस्त्र के निर्यात पर भी कुछ हद तक उस का प्रभाव पड़ता है।

मैं पहले यह उल्लेख कर चुका हूं कि हमारे निर्यात वाले माल के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल के आयात पर दिये गये शुल्क में कुछ छट देने की व्यवस्था की जा रही है। अत्यावश्यक कच्चे माल के आयात शुल्क को विनियमित करने की समस्या पर उसी सम्बन्ध में विचार किया गया था। और यद्यपि कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, फिर भी यह अनुभव किया जाता है कि शनैः शनैः कच्चे माल के आयात शुल्कों के स्थान पर उस माल से बने तैयार माल पर उत्पादन शुल्क लगाये जा सकते हैं। देश के उत्तरोत्तर उद्योगीकरण के फलस्वरूप यह परिवर्तन लगभग अनिवार्य हो जायेगा। इस से निर्यात व्यापार सरलतर भी हो जायेगा क्योंकि आयात शुल्कों पर छूट देने में जो उलझनें पड़ती हैं वे दूर हो जायेंगी। मैं अनुभव करता हूं कि कपास के आयात शुल्क को हटा कर शुभ श्रीगणेश करना चाहिये। इस से राजस्व को जो हानि होगी उस का अनुमान ४ करोड़ रुपये है।

इसी नीति के अनुसार इस्पात की कुछ किस्मों पर आयात शुल्क को तुरन्त हटाया जा रहा है। वे वस्तुएं हैं—इस्पात की चादरें (काली तथा जस्ते का पानी चढ़ी हुई) प्लेटें तथा लोहे की कीलें। इस से राजस्व को २५ लाख रुपये की हानि की संभावना है।

अंतिम दो प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने के लिये समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा २३ के अन्तर्गत आज ही अधिसूचना जारी की जा रही है।

कपास पर आयात शुल्क हटाने के पश्चात् मैं बहुत बारीक सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क ६ पाई प्रति गज तथा अन्य किस्मों पर ३ पाई प्रति गज बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। इस का अभिप्राय यह है कि एक तो वह राजस्व प्राप्त हो जायेगा जो कपास पर आयात शुल्क हटाने से खत्म हो जायेगा तथा दूसरी ओर उत्पादन-कर की वर्तमान व्यवस्था का भी वैज्ञानिकन हो जायेगा। आयात शुल्क के हटा देने से वह पेचीदा प्रक्रिया भी समाप्त हो जायेगी जो निर्यात पर शुल्क वापस करने से सम्बन्ध रखती हैं। उद्योग को विदेशी कपास आयात करने में भी सुविधा हो जायेगी क्योंकि उस के आयात पर कम राशि लगानी पड़ेगी। कुछ सीमा तक उत्पादन शुल्क में की गई इस वृद्धि के फलस्वरूप निर्माता एक प्रशुल्क वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने की इच्छा कम करेंगे क्योंकि यह वर्ग परिवर्तन आजकल की अपेक्षा कम लाभदायक हो जायेगा। मुझे आशा है कि इस से भारतीय कपास पर जो वर्तमान जोर पड़ रहा है वह भी कम हो जायेगा। सीमा शुल्क और संघ उत्पादन-शुल्क में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप मेरे विचार में भारतीय कपड़े पर करारोपण की व्यवस्था का अब से अधिक वैज्ञानिकन हो जायेगा। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप राजस्व में ६.५ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी।

मेरा दूसरा प्रस्ताव नकली रेशम के कपड़े पर १ १/२ आना प्रति गज उत्पादन कर लगाने का है। नकली रेशम के कपड़े का अब काफी उपयोग हो रहा है तथा कुछ सीमा तक यह कपड़ा सूती कपड़े से प्रतियोगिता करता है जिस पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है। जब अधिकतर सूती कपड़े पर करारोपण होता है तो नकली रेशम के कपड़े को कर मुक्त क्यों रखा जाये? नया शुल्क हस्तकरघों तथा उन छोटे छोटे कारखानों में बने कपड़े पर नहीं लगाया जायेगा जिन के पास १० से कम बिजली से चलने वाले करघे हों। ३ पाई प्रति गज का अतिरिक्त शुल्क लगाने से नकली रेशम के कपड़े की वही स्थिति हो जायेगी जो मिलों में बने सूती कपड़े की है, क्योंकि सूती कपड़े पर भी खादी तथा अन्य हस्तकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत ऐसा ही शुल्क लगाया जा रहा है। इस प्रकार

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्राप्त होने वाली राशि को एक विशेष कोष में डाला जायेगा जिस को हस्तकरघा उद्योग के विकास के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। इस से १.६० करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

औद्योगीकरण में प्रगति होने के साथ साथ सीमा शुल्क से होने वाली आय में कमी होना निश्चय ही है। इस के अलावा भी सीमा शुल्क से होने वाली आय पर व्यापार नीति के फेर बदल और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है। इसीलिये, हमारे वास्ते यह आवश्यक हो गया है कि आय के इस भाग को पूरा करने के लिये हम ऐसे देशी उद्योगों का सहारा लें जो उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं क्योंकि भूतकाल में ऐसी ही वस्तुओं से हमें सीमा शुल्क प्राप्त होता था। यह भी बात ठीक ही है कि वे उद्योग जो भूतकाल में संरक्षणात्मक नीतियों की सहायता से बढ़े हैं, जिन के लिये उपभोक्ताओं को बड़े हुए शुल्क के रूप में कीमतें चुकानी पड़ी थीं, अब जब कि वे पूर्ण विकसित अवस्था पर पहुंच गये हैं, देश के राजकोष में उचित राशि दें। देश की कर व्यवस्था को केवल तब ही मजबूत बनाया जा सकता है जब कि करारोपित उद्योगों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाले बिना तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना उत्पादन-शुल्कों में विस्तार किया जा सके। देश में जिन महत्वपूर्ण वस्तुओं को बनाया जाता है उन पर हम पहले ही से उत्पादन-शुल्क लगा रहे हैं तथा इस दिशा में और कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर भी, मैं अनुभव करता हूं कि आय के इस साधन में वृद्धि करने की गुंजाइश है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि तीन वस्तुओं पर, सीमेन्ट, साबुन और जूतों पर, मामूली शुल्क लगाया जाये। सीमेन्ट पर ५ रुपये प्रति टन एक पाउंड या उस से अधिक वजन की लाठियों वाली धोने की साबुन पर ५ रुपये ४ आना प्रति हण्डरवेट, अन्य धोने की साबुन पर ६ रुपये २ आने प्रति हण्डरवेट तथा नहाने और अन्य प्रकार के साबुन पर १४ रुपये प्रति हण्डरवेट, और जूतों पर मूल्यानुसार १० प्रतिशत शुल्क लगेगा। इन सब वस्तुओं पर करानुपात साधारणतः मूल्य के १० प्रतिशत से अधिक न होगा। साबुन और जूतों के मामलों में कुटीर उद्योगों की वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगेगा। ऐसा या तो कार्यपालिका आदेशों द्वारा कर दिया जायेगा या सीधे टेरिफ में ही इस की परिभाषा कर दी जायेगी। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन के आधार पर मैं आशा करता हूं कि उत्पादन शुल्क लगाने से सीमेन्ट से १.७५ करोड़ रुपये, जूतों से ८० लाख रुपये और साबुन से १.२० करोड़ रुपये प्राप्त हो जायेंगे।

आय-कर की दरों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है और वे अगले वर्ष के लिये भी वही रहेंगी जो अब हैं। भारतीय आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ औपचारिक संशोधन वित्त विधेयक में शामिल कर लिये गये हैं जिस से कुछ वर्तमान रियायतें, जैसे विशेष अवक्षयण भत्ता, ६ प्रतिशत तक लाभ में छूट, आदि, १९५६ तक जारी रह सकें। उस समय तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी जब तक सरकार करारोपण जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन रियायतों को जारी रखने की आवश्यकता पर पुनर्विचार नहीं कर लेती है। इस अवसर का लाभ उठा कर सम्पदा शुल्क अधिनियम में दो छोटे संशोधन भी, जो कि दोनों प्रारूप सम्बन्धी परिवर्तनों से सम्बन्ध रखते हैं, करने का विचार है।

उपरोक्त परिवर्तनों का प्रभाव संक्षेप में यह होगा। सुपारी पर शुल्क बढ़ाने से ३ करोड़ रुपये की आय होगी और आयात-शुल्कों में कुछ छोटी-मोटी हेर-फर से १.२५ करोड़

रुपये और प्राप्त होंगे । परन्तु कपास और इस्पात के कुछ माल पर आयात शुल्क हटाने से ४.२५ करोड़ का जो घाटा होगा उस से यह आय बराबर हो जायेगी और सीमा शुल्कों से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व फिर १७५ करोड़ रुपये ही रहेगा ।

सूती कपड़े पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाने से ६.५ करोड़ रुपये की और नक़ली रेशम के कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाने से १·६० करोड़ रुपये की आय होगी । सीमेन्ट, साबुन और जूतों पर उत्पादन शुल्क लगाने से ३.७५ करोड़ रुपये की आय होगी । इस तरह उत्पादन-शुल्कों से कुल ११·८५ करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । इस से अगले वर्ष में जो राजस्व में २६·०६ करोड़ रुपये के घाटे की संभावना है वह १४·२१ करोड़ रह जायेगा, जिसे मैं यों ही रहने दे रहा हूं ।

जैसा मैं ने बताया, अगले वर्ष कुल घाटा २५० करोड़ रुपये होगा, जिसे राज हुंडियों के विस्तार से पूरा किया जायेगा । नये करों से यह घाटा लगभग २३८ करोड़ रुपये रह जायेगा । फ़िलहाल, आयव्ययक में राज हुंडियों के विस्तार का जो आंकड़ा दिया गया है, उस में मैं परिवर्तन करना नहीं चाहता । राज हुंडियों का विस्तार किस हद तक होगा, यह आगामी वर्ष की स्थिति पर निर्भर होगा । इसलिये मैं इस से होने वाली आय को रोकड़ बाक़ी में शामिल कर रहा हूं और १२ करोड़ की अतिरिक्त राशि को इसी तरह रहने दे रहा हूं ।

यह चौथा आयव्ययक है जिसे सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है और संयोग से, यह पंच वर्षीय योजना का भी चौथा ही वर्ष है । इन सब आयव्ययकों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि यह योजना सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित की जाती रहे । योजना की प्रगति की रिपोर्टें हाल ही में संसद-सदस्यों को उपलब्ध कराई गई हैं और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था जारी रखी जायेगी । इसलिये, योजना की क्रियान्विति में जो प्रगति हुई है उस के बारे में मैं कुछ कहने का इरादा नहीं रखता, परन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इन सात वर्षों में जो कुछ कार्य किया गया है उस का ज़िक्र किये बिना मैं नहीं रह सकता । एक राष्ट्र के इतिहास में सात वर्ष की अवधि कोई बड़ी अवधि नहीं है; हां, एक पीढ़ी के लिये इस का अवश्य कुछ महत्व है । इसलिये सुधार के बारे में लोगों की चिन्ता को और उन की इस आलोचना को कि योजना की प्रगति संतोषजनक रूप से नहीं हो रही, समझा जा सकता है । हम इस तरह की आलोचना का सदा स्वागत करते हैं क्योंकि इस से हमें अपनी गलतियां सुधारने का तथा अधिक प्रयत्नशील होने का मौक़ा मिलता है । परन्तु कभी कभी इस से वास्तविक प्रगति और सफलतायें, जो इस क्षेत्र में हुई हैं, ढक जाती हैं । १९४७ में हमें एक दुर्बल शासन-व्यवस्था सौंपी गई थी, और उस समय हमारे देश की आर्थिक-व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त थी । स्वाधीनता-प्राप्ति के शीघ्र पश्चात् ही हमारे सामने लाखों उजड़े हुए लोगों को बसाने की विराट समस्या खड़ी हो गई थी । बहुत से ऐसे इलाक़ों के, जहां अनाज बहुत काफ़ी मात्रा में था, हमारे हाथ से चले जाने के कारण, हमारी खाद्य-स्थिति बहुत खराब हो गई थी । फिर, हमारे सामने ५०० देशी रियासतों के विलीनीकरण की भी समस्या थी । इन पिछले सात वर्षों में हम जो कुछ कर सके हैं, उस से मैं समझता हूं, हमें काफ़ी संतोष होना चाहिये । इस अवधि में, हमारी अर्थ-व्यवस्था काफ़ी दृढ़ हो चुकी है, मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति रोक दी गई है । बल्कि यों कहना चाहिये कि बिल्कुल खत्म कर दी गई है और अनेक दिशाओं में उत्पादन में वृद्धि भी हुई है, विशेष रूप से, देश की खाद्य स्थिति

[श्री सी० डी० देशमुख]

में बहुत कुछ सुधार हुआ है। परिवहन व्यवस्था भी बहुत कुछ ठीक हो गई है। बड़ी बड़ी सिंचाई और विद्युत योजनाओं के निर्माण-कार्य में संतोषप्रद प्रगति हुई है बल्कि कुछ योजनाओं के तो नियत अवधि से पहले पूर्ण हो जाने की आशा है। ऐसी और योजनाओं को भी हाथ में लिया जा रहा है। सरकार की सहायता से बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग भी चालू किये गये हैं जिन से हम बहुत सी ज़रूरी वस्तुओं के मामले में आत्म-निर्भर हो सकेंगे। जहां तक मूल-उद्योगों का सम्बन्ध है, इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की गई है और इस्पात का एक नया कारखाना खोला जा रहा है, जिस से देश के कुल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो सकेगी। नौवहन उद्योग के विस्तार के लिये भी सहायता दी जा रही है और विशाखापत्तनम के महत्वपूर्ण शिपयार्ड को विकसित किया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम पूरा होने वाला है। देशी रियासतों का विलीनीकरण पूरा हो चुका है। एक राष्ट्रीय योजना, जिस में राष्ट्रीय जीवन अर्थ-व्यवस्था के लगभग सारे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित कर लिये गये हैं तैयार हो चुकी है और क्रियान्वित की जा रही है। राज्यों को, उन के विकास-कार्यों को पूरा करने के लिये, बड़ी बड़ी राशियां देकर सहायता दी गई है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महान प्रयत्न में लोगों का सहयोग प्राप्त करने में भी सफलता मिली है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो इतनी प्रगति और इतना विकास हुआ है, उस का हम रुपये-पैसों के रूप में अथवा प्राक्कलन तथा व्यय के आंकड़ों के रूप में अनुमान नहीं लगा सकते। हमें संतोष है कि देश की स्थिति में दिन पर दिन सुधार होता जा रहा है। हम यह अवश्य जानते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना है; यद्यपि हम ने गलतियां की हैं और आगे हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं, परन्तु इस बात को सोच कर कि हम ने उचित दिशा में काफ़ी प्रगति की है, हम भारत को एक समृद्धिशाली देश बनाने के लिये और अधिक उत्साह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इस कार्य में हमें मित्र देशों से काफ़ी सहायता मिली है जिस के लिये हम उन के आभारी हैं; यह सहायता हमें और अधिक प्रयत्नशील होने के लिये ही उत्साहित करती है।

वित्त विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इस के पश्चात् सभा सोमवार, १ मार्च १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।